Par. S. 17. (II) 30 53
285

खंड २ मंगलवार
संख्या ३० १२ मई, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st
लोक सभा
तीसरा सत्र
शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २९७९—३०१२]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३०१२—३०२६]

(मूल्य ४ आने)

267P.S.D.

लोक सभा

मंगलवार, १२ मई १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सेवा पुनर्संगठन योजनायें

*२०३६. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भाग 'ग' राज्यों यथा विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा भोपाल में पुराने वेतन आदि के स्थान पर सेवा पुनसंगठन की योजनाओं तथा वेतन, भत्ते आदि निर्धारित करने की योजनाओं को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है;

(ख) किन बातों के आधार पर ये योजनायें बनाई गई हैं;

(ग) इन राज्यों में ये योजनायें कब क्रियान्वित की जायेंगी;

(घ) इन योजनाओं के क्रियान्षित किये जाने के परिणामस्वरूप इन प्रत्येक राज्यों में यदि कोई अतिरिक्त व्यय होगा तो कितना होगा;

(ङ) क्या किसी राज्य में ऐसी कोई योजनायें कुछ ऐसे अन्य प्रस्तावों पर आधारित थीं जिनमें कर्मचारियों तथा संस्थापनाओं आदि की संख्या में कमी करने की बात थी;

(च) यदि ऐसा है, तो ऐसे प्रस्तावों का क्या हुआ; तथा

(छ) क्या उस प्रकार के किसी प्रस्ताव की अथवा उन में से कुछ की क्रियान्विति अब भी विचाराधीन है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) पार्श्वस्थ भाग 'क' राज्यों की योजनाओं के आधार पर ।

(ग) केवल हिमाचल प्रदेश को छोड़ कर, जहां यह योजना पहिली सितम्बर १९४८ से क्रियान्वित की गई थी, सभी मामलों में इन योजनाओं को भूत लक्षी प्रभाव देकर पहिली अप्रैल १९५० से लागू किया गया है ।

(घ)

मनीपुर	लगभग ६,६३,५६४ रुपये
कच्छ	लगभग ६,१४,००० रुपये
त्रिपुरा	लगभग १०,४६,६३६ रुपये
भोपाल	लगभग ६,००,००० रुपये
विंध्य प्रदेश	लगभग ९,००,००० रुपये

बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो वेतन श्रेणियां हैं उस प्रकार की वेतन श्रेणियां रखने के

प्रस्ताव को बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में जल्दी होने वाले संविलयन को ध्यान में रखते हुए रोक रखा गया है।

हिमाचल प्रदेश चूंकि राज्य के बन जाने के तुरन्त बाद ही पुनर्संगठन कार्य पर प्रभाव पड़ा, अतः यह सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी।

(ङ) सेवाओं के पुनर्संगठन की योजनाओं को लागू करने तथा संशोधित दरों के अनुसार वेतन श्रेणियां निर्धारित करने से भूतपूर्व राज्य शासन में से लिये गये सरकारी कर्मचारियों को मामलों की जांच करनी पड़ेगी। शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य योग्यताओं के मामले में जो कर्मचारी वांछित स्तर से नीचे समझे जाते हैं उन्हें या तो पुरानी वेतन श्रेणियों पर रखा जाता है या उन की छंटनी कर दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत फालतू विभागों को समाप्त करना पड़ेगा तथा कुछ मामलों में संस्थापना में कमी करनी पड़ेगी।

(च) कुछ विभागों को छोड़ कर, राज्य मंत्रालय के अन्तर्गत बिलासपुर के अतिरिक्त यह योजना सभी भाग 'ग' राज्यों में लागू कर दी गई है।

(छ) जी हां। सम्बद्ध विभाग ये हैं——

केन्द्रीय गैरिज विभाग अतिथि तथा भाण्डार विभाग	कच्छ
उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम विभाग	त्रिपुरा
शिक्षा विभाग	मनीपुर

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भाग 'ग' राज्यों में जो पुनःसंगठन हुआ है यह पहली बार हुआ है या इस से पेश्तर भी इस सम्बन्ध में संगठन हो चुका है, और यदि हो चुका है तो इस पुनःसंगठन की कौन सी आवश्यकता थी ?

डा० काटजू : सी० स्टेट्स के बनने के बाद पहली बार हो रहा है। इस के पहले अगर रिआरगेनाइजेशन हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि 'क' राज्यों और इन राज्यों की सेवाओं के वेतन आदि में कितना फ़र्क होगा और किस राज्य के अनुसार यह संगठन किया गया है ?

डा० काटजू : जवाब तो दिया गया है कि उस स्टेट से जो पार्ट ए स्टेट मिली हुई है उस के आधार पर रिवीज़न किया गया है अगर आप किसी रियासत की तफ़सील के बारे में कोई अलग सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं उस का जवाब दे सकता हूं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : कुछ भाग ग राज्य ऐसे हैं जिन के आस पास कई राज्य हैं। मिसाल के लिये विन्ध्य प्रदेश से लगे हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों हैं। इसी प्रकार मध्य भारत के पास बम्बई और राजस्थान आदि हैं। तो किस राज्य के अनुसार यहां संगठन किया गया है ?

डा० काटजू : मध्य भारत तो सी० स्टेट नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : भोपाल।

डा० काटजू : जहां तक विन्ध्य प्रदेश का वास्ता है मेरा ख्याल है कि वहां उत्तर प्रदेश के आधार पर रिवीज़न हुआ है। और जो आपने भोपाल के बारे में पूछा तो यहां पार्ट ए स्टेट मध्य प्रदेश के आधार पर हुआ होगा, यह मध्य भारत से मिला नहीं है।

अभ्रक के लिये केन्द्रीय विपरण बोर्ड

*२०३७. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अभ्रक उत्पादक किसी राज्य ने

गत काल में भारत सरकार से अभ्रक के लिये केन्द्रीय विपणन बोर्ड स्थापित करने के लिये कहा था ?

(ख) यदि ऐसा है, तो किन किन राज्यों ने और कब ?

(ग) क्या इस प्रश्न पर भारत सरकार अब भी विचार कर रही है अथवा इसे अस्वीकार कर दिया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उप मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख). अभ्रक जांच समिति पर रिपोर्ट प्रकाशित किये जाने के बाद से बिहार सरकार ने समय समय पर भारत सरकार से अभ्रक के लिये एक केन्द्रीय विपणन बोर्ड स्थापित करने के लिये कहा ।

(ग) उन सब के परामर्श से जिन पर इस का प्रभाव पड़ता था, इस प्रस्ताव पर १९५२ में अन्तिम बार पूर्ण रूप से विचार किया गया था, किन्तु इसे इसलिये अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि यह ठीक नहीं समझा गया कि सरकार इस प्रस्तावित बोर्ड के विक्रय कार्यों से होने वाली हानि उठाये ।

श्री एन० पी० सिन्हा: मैं जान सकता हूं कि क्या इस विषय में मद्रास, राजस्थान तथा बिहार के छोटे छोटे व्यापारियों से परामर्श किया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां । जैसा कि मैं ने कहा, समय समय पर परामर्शदात्री समितियों की बैठकें हुईं और बहुत से छोटे व्यापारियों से परामर्श किया गया था ।

श्री नाना दास: केन्द्रीय विपणन संगठन के न होने से, मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसा संगठन या संस्था है जो कि अभ्रक के दामों तथा निर्यात को नियमित करेगी और अभ्रक के व्यापार में आपसी स्पर्धा को रोकेगी ?

श्री के० डी० मालवीय: जहां तक विपणन का सम्बन्ध है इस के लिये कोई बोर्ड या ऐसी कोई संस्था नहीं है । योजना आयोग ने अभ्रक के विक्रय के प्रश्न के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से यह सिपारिश की थी कि छोटे उत्पादकों को सहकारी संस्थायें स्थापित करनी चाहियें और योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना राज्य सरकारों को भेज देनी चाहिये जिस में उन से सहकारी संस्थायें स्थापित करने के विचार से इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिये एक बैठक बुलाने की प्रार्थना की जाय ।

डा० राम सुभग सिंह: प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बात के सम्बन्ध में, क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय विपणन बोर्ड स्थापित करने में किस प्रकार की हानि होने की सम्भावना हो सकती है ?

श्री के० डी० मालवीय: मुख्य हानि का खतरा सट्टे के परिणाम स्वरूप दामों के उतार चढ़ाव में है । पिछली घटनाओं से ऐसा अनुभव किया गया था : दामों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव हुआ करता था । अतः जहां तक सट्टे का सम्बन्ध था सरकार किसी भी प्रकार की हानि का खतरा उठाना नहीं चाहती थी ।

श्री एल० एन० मिश्र: मैं जान सकता हूं कि अभ्रक बोर्ड स्थापित करने से कितनी हानि होने की सम्भावना है ?

श्री के० डी० मालवीय: मैं कोई वित्तीय आंकड़े नहीं बता सकता । मैं ने सामान्य सिद्धान्त बता दिये कि सरकार केन्द्रीय विपणन बोर्ड को स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती ।

श्री एन० पी० सिन्हा: मैं जान सकता हूं कि वे कौन से मुख्य कारण हैं जिन पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते समय विचार किया गया था; क्या उस निर्णय पर अब भी विचार किया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी नहीं । जहां तक सरकार के वर्त्तमान निर्णय का सम्बन्ध है, यह अन्तिम है ।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि सरकार अभ्रक व्यापार को किस प्रकार नियमित करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : अभ्रक के सम्बन्ध में एक परामर्शदाता बोर्ड है जिस को व्यापारियों तथा सरकार को सभी प्रकार की बातों पर चाहे यह दाम अथवा किस्म या प्रमापीकरण की बात हो, परामर्श देने के लिये समय समय पर बैठक होती है । वह इन प्रश्नों पर विचार करता है और व्यापारियों को भी परामर्श देता है ।

अनुसूचित जातियों के लिये छात्रवृत्तियां

*२०२९. **श्री एस० वी० रामास्वामी:** (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दूसरी किस्त दे दी गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो कब ?

(ग) क्या सरकार को गर्मियों की छट्टियों के लिये शिक्षा संस्थाओं के बन्द हो जाने के बाद छात्रवृत्तियों के दिये जाने में विलम्ब होने के कारण ऐसे विद्यार्थियों को होने वाली असुविधा का पता है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां, केवल कुछ ऐसे थोड़े से मामलों को छोड़ कर जो कि देर से मार्च में मंजूर किये गये थे।

(ख) १९५३ के मार्च–अप्रैल के महीनों में ।

(ग) सरकार यह समझती है कि देर से भुगतान करने के कारण विद्यार्थियों को कठिनाई होती है किन्तु इस देरी के मामले में कुछ किया नहीं जा सकता था ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या सरकार इस बात का आश्वासन दे सकती है कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी ?

श्री के० डी० मालवीय: हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि इस काम में देरी न हो। इस में देरी के कुछ कारण ये हैं : (१) विद्यार्थी केन्द्रीय छात्रवृत्तियों को नहीं लेते क्योंकि कुछ मामलों में राज्य से मिलने वाली छात्रवृत्तियां केन्द्रीय छात्रवृत्तियों से अधिक होती हैं; (२) विद्यार्थी प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये दाखिल नहीं हो सकते और वे इन छात्रवृत्तियों का लाभ नहीं उठा सकते; (३) राज्य सरकारों से आवश्यक सूचना देर से मिली थी ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि कितनी लड़कियां इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठा रही हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे खेद है कि लड़कियों की संख्या के सम्बन्ध में मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी: क्या ऐसा करना सम्भव हो सकता है कि यह धन राज्य सरकारों को दे दिया जाय जिस से कि यह यथासमय में दिया जा सके ?

श्री के० डी० मालवीय : सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधान अधिकारियों के द्वारा इस धन को सीधे ही देने में समय कम लगता है।

श्री एन० आर० एम० स्वामी: दो किस्तों के बीच कितने समय की अवधि होती है ? पहिली किस्त के कितने महीनों बाद दूसरी किस्त दी जाती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: विद्यार्थियों का पहिला चुनाव अगस्त १९५२ में किया गया था, दूसरा दिसम्बर १९५२ में किया गया था, तीसरा चुनाव फरवरी १९५३ में किया

गया था और चौथा चुनाव कुछ विद्यार्थियों के नाम रद्द कर देने पर मार्च, १९५३ में किया गया था।

श्री मुनिस्वामी : क्या विद्यार्थियों द्वारा विशेष रूप से मद्रास के 'ला कालेज तथा 'प्रेसीडेन्सी कालेज' के विद्यार्थियों द्वारा, यह शिकायत की गई है कि प्राधिकारियों ने रुपया बांटने में विलम्ब किया ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं यह तो नहीं जानता कि 'लॉ कालेज' के विद्यार्थियों द्वारा शिकायत की गई थी या नहीं, परन्तु कुछ शिकायतें की ज़रूर गई थीं और उस का कारण भी मैं बतला चुका हूं।

श्री नाना दास : सरकार इस बात के लिये क्या कदम उठा रही है कि चालू वर्ष में रुपये के वितरण में कोई विलम्ब न हो ?

श्री के० डी० मालवीय : में पहले ही कह चुका हूं कि हम हर तरह से यह कोशिश कर रहे हैं कि काम शीघ्रता से हो।

श्री गणपति राम : क्या यह सत्य है कि कुछ विद्यार्थियों ने, जिन्हें राज्य सरकार से छात्रवृत्तियां मिल गई हैं, भारत सरकार से छात्रवृत्तियां लेना अस्वीकार कर दिया है और यदि हां, तो क्या उक्त छात्रवृत्तियां दे दी गई हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां। कुछ विद्यार्थियों ने केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्तियां लेना अस्वीकार कर दिया क्यों कि राज्य सरकार की छात्रवृत्तियां उन से अधिक थीं। अब वे छात्रवृत्तियां दूसरे विद्यार्थियों को दे दी गई हैं।

ग्राम ऋणिता

*२०४०. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में ग्राम-ऋणिता के स्वरूप तथा विस्तार सम्बन्धी नवीनतम स्थिति; तथा

(ख) उसे दूर करने के लिये क्या उपाय किये जाने की प्रस्थापना है ?

वित्त उप मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) भारत की ग्राम-ऋणिता सम्बन्धी ठीक-ठीक सामग्री प्राप्य नहीं है। इस सम्बन्ध में प्राधिकारपूर्ण नवीनतम प्राक्कलन वह है जो सन् १९३१ में भारतीय केन्द्रीय महाजनी जांच समिति द्वारा किया गया था। इस में कुल ऋणिता लगभग ९०० करोड़ रुपये की प्राक्कलित की गई थी। इस समय ऐसी कोई सामग्री तो प्राप्य नहीं है जिस से यह पता लग सके कि हाल के वर्षों में कृषि उपजों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप इस में से कितना ऋण चुकाया जा चुका है, परन्तु ग्राममहाजनी जांच समिति (१९५०) ने यह विचार व्यक्त किया है कि ऋणिता सम्भवतः कम हो गई है, विशेष रूप से बड़े तथा बीच के भूमिधारियों के ऋणों में सारवान् कमी हुई है।

(ख) कृषि-ऋणिपा एक राज्य विषय है और इसे दूर करने के लिये जिन उपायों की आवश्यकता है वे राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं। राज्य सरकारें परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कार्यवाहियां करती रहती हैं।

श्री झूलन सिन्हा : अन्तिम जांच के पश्चात् इन में से गरीब वर्गों के लोगों की ऋणिता बढ़ी है या घटी है ?

श्री ए० सी० गुहा : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमारे पास इस विषय में कोई निश्चित सामग्री नहीं है। हां, ग्राम-महाजनी जांच-समिति की राय यह है कि कृषि-उपजों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण बड़े तथा बीच के कृषकों को अपना ऋण चुकाने में फायदा पहुंचा है। छोटे कृषकों की ऋणिता के सम्बन्ध में हमारे पास कोई निश्चित सामग्री नहीं हैं।

श्री कानूनगो : इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, विशेष रूप से मद्रास द्वारा, क्या पर्यालोकन या अध्ययन किये गये ?

श्री ए० सी० गुहा : इन में से बहुत कुछ किये गये होंगे; किन्तु मैं इस समय नहीं कह सकता कि क्या किये गये हैं।

श्री झूलन सिन्हा : क्या १९५० में हुई जांच में यह राय व्यक्त की गई है कि कृषि-उपजों के मूल्य में वृद्धि होने से गरीब कृषिकों को कम लाभ पहुंचा है ?

श्री ए० सी० गुहा : पहले ही कहा जा चुका है कि स्थिति यह है कि हम कोई निश्चित सम्मति नहीं दे सकते। परन्तु मैं नहीं जानता कि यह स्थिति कहां तक बिल्कुल ठीक है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने ग्राम-ऋणिता का भू-धारण व्यवस्था से, जो कि भूमिविहीन, कृषकों के लिये बहुत अहितकर है, सम्बन्ध ज्ञात करने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा किये गये भिन्न भिन्न उपायों में एक भूधारण व्यवस्था के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में भी है; अतः सरकार ने उस पर अवश्य विचार किया होगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार विभिन्न भागों में इस विषय में मतभेद होने के कारण, देश की ग्राम-ऋणिता की जांच करवाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री ए० सी० गुहा : यह मामला रिज़र्व बैंक के विचाराधीन है और रिज़र्व बैंक क एक विशेष विभाग इस की छान बीन कर रहा है। उन्हों ने इसकी देख रेंख के लिये एक परिमाप समिति भी बनाई है।

श्रीमती ए० काले : देनदारों द्वारा ऋण न चुकाये जाने के कारण लेनदारों द्वारा कितनी भूमि ले ली गई ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास इस समय यह जानकारी नहीं है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि कृषि-फसलों के मूल्यों में कोई विशेष कमी न होने पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में धन-विपणि में इतनी सख्ती क्यों रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : प्रश्न एक ऐसी बात पर आधारित है जिसे मैं इस समय स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन राज्यों में देहात के किसानों के कर्ज के कम करने के लिये "डेट कंसिलिएशन बोर्ड" स्थापित किये गये हैं और "मनी लेंडर्स ऐक्ट" बने हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरा ख्याल है कि सब भाग क राज्यों और लगभग सब भाग ख राज्यों ने इस सम्बन्ध में कार्यवाहियां की हैं जिन में वह भी शामिल है। जिस की ओर माननीय सदस्य ने निर्देश किया है।

श्री थानू पिल्ले : आर्थिक मंत्रणादाता का विभाग ग्राम-ऋणिता सम्बन्धी जानकारी के अभाव में देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान किस प्रकार लगा रहा है ?

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, यह तो तर्क का प्रश्न है।

श्री ए० एम० टामस : क्या सरकार ने ग्राम-ऋणिता दूर करने के लिये सहकारी भू-बन्धक बैंक खोलने की कोई व्यापक योजना तैयार की है तथा यदि की है तो उन से क्या सहायता दी जायेगी ?

श्री ए० सी० गुहा : इस सम्बन्ध में एक प्रमुख कार्यवाही भूबन्धक बैंकों की स्थापना है और इस की सिपारिश ग्राम महाजनी जांच समिति द्वारा भी की गई है।

तंजोर में रेल कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता

*२०४१. **श्री वेंकटारमन :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल की जनगणना के अनुसार तंजोर के रेल कर्मचारी नगर भत्ता पाने के पात्र हो गये हैं;

(ख) क्या उक्त कर्मचारियों को नगर भत्ता दिया जा रहा है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) जी नहीं :

(ख) जी नहीं ।

(ग) श्रेणी ग के नगरों की सूची में केवल वे नगर सम्मिलित किये गये जिन की जनसंख्या १९५१ की जनगणना के आधार पर एक लाख से पर्याप्त अधिक थी । क्योंकि तंजोर के विषय में यह शर्त पूरी नहीं होती थी, अतः वह सूची में नहीं रखा गया ।

श्री वेंकटारमन : "एक लाख से पर्याप्त अधिक" से क्या अभिप्राय है ? २०,००० अधिक हों या और कुछ ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात तो एक और दिन भी पूछी जा चुकी है ।

श्री एम० सी० शाह : मैं उस दिन बतला चुका हूं कि १५ प्रतिशत अधिक हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस दिन यह बात विस्तार से पूछी जा चुकी है । अगला प्रश्न ।

सिंध के विस्थापित व्यक्तियों से अभिवेदन

*२०४२. **श्री गिडवानी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को सिंध के विस्थापित व्यक्तियों की संस्थाओं से तथा विस्थापित सिंधी कार्यकर्त्ताओं से, जिन में कांग्रेसजन भी शामिल हैं, ये अभिवेदन मिले हैं कि सिंधी हिन्दुओं तथा सिखों द्वारा सैनिटरी कमेटी के क्षेत्रों में छोड़ी गई सम्पत्ति को नगरीय सम्पत्ति समझा जाये और उस के साथ पंजाब की छोटी टाउन कमेटियों के क्षेत्रों में छोड़ी गई सम्पत्ति के समान व्यवहार किया जाये;

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या विनिश्चय किया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, १९५० की धारा २ के खंड (घ) के उपबन्धों से पता चलेगा कि सैनिटरी कमेटियां "नगरीय क्षेत्र" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आतीं । अतः सरकार को उन्हें "नगरीय क्षेत्र" के समान समझने का अधिकार नहीं है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को ज्ञात है कि सिंध में ये सैनिटरी कमेटियां पूर्णतः निर्वाचित निकाय होती थीं और इन सम्पत्तियों का मूल्य दावा अधिनियम में निर्दिष्ट "नगरीय क्षेत्रों" के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों के मूल्य के बराबर ही नहीं बल्कि कुछ मामलों में तो उन से भी अधिक था ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): जहां तक निर्वाचन का प्रश्न है ऐसा हो सकता है । परन्तु जहां तक सम्पत्ति का सम्बन्ध है, सरकार इस तर्क को स्वीकार नहीं करती कि उन का मूल्य "नगरीय क्षेत्रों" में स्थित सम्पत्ति के मूल्य से अधिक था ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि वैज्ञानीकरण योजना के चालू किये जाने से पूर्व इन सम्पत्तियों को नगरीय सम्पत्ति समझा

जाता था परन्तु बाद में न केवल दावे कम ही कर दिये गये बल्कि कुछ मामलों में तो वे बिल्कुल ही रद्द कर दिये गये ?

श्री ए० पी० जैन : उन्हें नगरीय सम्पत्ति कभी भी नहीं समझा गया ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि उन का मूल्य निर्धारण किया गया था ?

श्री ए० पी० जैन : जब उन्हें नगरीय सम्पत्ति ही नहीं समझा गया तो उन का मल्य निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता था ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि इन क्षेत्रों में तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी ऐसी सम्पत्तियों को ग्रामीण सम्पत्ति मानने से न केवल अभा। दावेदारों को उन का उचित प्रतिकर अंश ही मिला बल्कि सम्पत्ति का मूल्य भी कम हो गया ?

श्री ए० पी० जैन : यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि नगरीय तथा ग्रामीण सम्पत्तियों के मूल्य-निर्धारण की रीति एक ही है और उन दोनों में कोई भेद नहीं बरता गया था ।

हैदराबाद में विस्थापित व्यक्तियों का पुनःसंस्थापन

*२०४४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** (क) **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य ह कि हैदराबाद सरकार ने पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के कुछ परिवारों को निज़ामाबाद ज़िले में बसाना मंजूर कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार उन विस्थापित व्यक्तियों के पुनःसंस्थापन के लिये क्या कदम उठा रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) जो परिवार हैदराबाद जाने के लिये तैयार हैं उन के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे स्वयं जा कर देख सकते हैं कि राज्य में कैसी जमीन उपलब्ध है । इस के पश्चात् यदि ये परिवार जमीन लेना मंजूर कर लेते हैं तो उन्हें हैदराबाद भेज दिया जायगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : हैदराबाद में विस्थापित व्यक्तियों के कितने परिवार बसाये जा रहे हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : ४६ ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सरकार ने उस योजना को कोई वित्तीय सहायता दी है ?

श्री जे० के० भोंसले : २,००० रुपये प्रति वर्ष ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह परिवार केवल सिन्धी परिवार ही हैं या उन में पंजाबी परिवार भी हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : वे पाराशिनार तथा उत्तर पूर्वी सीमा प्रान्त के हैं ?

श्री हेडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हैदराबाद में ५०० एकड़ जमीन का एक उपजाऊ टुकड़ा पड़ा हुआ है जो हैदराबाद के पुराने प्रधान मंत्री का है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस जमीन को शरणार्थियों को दे रही है और यदि वे नहीं लेते तो क्या वह स्थानीय लोगों को उस पर बसाने का विचार रखती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मीरलायक अली के फार्म (खेत) का ज़िक्र कर रहे हैं । फार्म के एक भाग को एक स्थानीय पार्टी को एक वर्ष के लिये दे दिया गया है । शेष भाग शरणार्थियों को दिया जा रहा है ।

श्री हेडा : इसे केवल एक या दो वर्ष के लये दिया गया है । मैं जान सकता हूं कि भविष्य के लिये क्या फैसला किया जाता है ?

श्री ए० पी० जैन : इस सम्पत्ति के बारे में सरकार ने कोई आखिरी फैसला नहीं किया है। इस बीच इन जमीनों को पंजाब के बाहर के लोगों को केवल एक वर्ष के आधार पर उठाया जा रहा है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह सत्य है कि यह लायक अली फार्म पंजाबी शरणार्थियों के मुकाबले में केवल सिन्धी शरणार्थियों को ही दिया जाता है? यदि ऐसा है तो यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

श्री ए० पी० जैन : भेद भाव का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में सिन्धी शरणार्थियों की अपेक्षा पंजाबी शरणार्थियों को अधिक फायदा पहुंचा है । पंजाब के हर भू-स्वामी और हर काश्तकार को पंजाब तथा पैप्सू में अर्द्ध-स्थायी आधार पर या आवंटन द्वारा जमीनें दी गई हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार को स्वयं सिन्धियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि वह जमीनें नहीं चाहते ?

श्री ए० पी० जैन : हमें कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ । इस के विपरीत, सिन्धियों ने तो यह मांग की है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त के लोगों तथा भावलपुरियों को जमीनें दी जानी चाहियें ।

निर्वाह-व्यय देशना

***२०४५. डा० अमीन :** (क) **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निर्वाह व्यय देशना के आंकड़े किस प्रकार तैयार किये जाते हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उपभोक्ता वस्तुओं के दाम हाल ही में कम हुए हैं ?

(ग) यदि हां तो उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में कमी होने के बावजूद भी निर्वाह व्यय देश में इतना ऊंचा क्यों है ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) कुछ विशेष उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय मूल्य में किसी निश्चित आधार काल में प्रचलित मूल्यों के मुकाबले में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं को ध्यान में रख कर निर्वाह-व्यय देशना तैयार किया जाता है ।

(ख) जी हां । सामान्यतः १९५२ के मध्य से बहुत सी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य कम होते जा रहे हैं ।

(ग) उन १६ केन्द्रों में से जिन के लिये श्रम विभाग निर्वाह व्यय तैयार करता है, १५ केन्द्रों में जून-जुलाई १९५२ से मूल्य कम हो रहे हैं । अन्य औद्योगिक केन्द्रों में से जिन के लिये राज्य सरकारें अपने देशनायें तैयार करती हैं, कुछ केन्द्रों में मूल्य कभी कभी बढ़े हैं । इस का कारण कुछ तो इन देशनाओं का बनाना है और कुछ स्थानीय हालत । अखिल भारतीय औसत श्रम जीवी वर्ग के निर्वाह-व्यय देशना की प्रवृत्ति (जिस में १४ अलग अलग देशनायें शामिल हैं) १९५१ की अन्तिम तिमाही से, जब कि मूल्य सब से अधिक थे, घटने की ओर ही रही है ।

श्री नाना दास : कृषि सम्बन्धी मजदूरों के निर्वाह व्यय देशना के आंकड़े तैयार करने और उन्हें प्रकाशित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री बी० आर० भगत : इस प्रश्न का संबंध नगरीय क्षेत्रों तथा औद्योगिक केन्द्रों में निर्वाह-व्यय से है ।

श्री नानादास : निर्वाह-व्यय ....

उपाध्यक्ष महोदय : यह चीज प्रसंगानुकूल नहीं है ।

डा० अमीन : क्या निर्वाह-व्यय के यह आँकड़े मूल्यों की प्रवृत्ति को ठीक ठीक बताते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मेरी राय में ठीक ठीक बतलाते हैं ।

श्री आल्तेकर : निर्वाह्-व्यय देशना तैयार करने में क्या मकान का किराया गिना जाता है ?

श्री बी० आर० भगत : मकान का किराया गिना जाता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : वर्ष १९५२ में निर्वाह्-व्यय से सब से अधिक किस औद्योगिक केन्द्र में था ?

श्री बी० आर० भगत : निर्वाह्-व्यय बम्बई, शोलापुर और कानपुर जैसे शहरों में सब से अधिक रहा है ।

श्री रघवय्या : क्या निर्वाह्-व्यय देशना इतना गिर गया है कि अब वह एक साधारण व्यक्ति की क्रय शक्ति के बराबर आ गया है जो कि कम हो गई है **

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न के दूसरे भाग को छोड़ता हूं । यह तर्क का विषय नहीं । माननीय सदस्य इस समय प्रश्न पूछ सकते हैं, राय प्रगट नहीं कर सकते ।

श्री रघवय्या : मैं प्रश्न को बदल देता हूं । क्या निर्वाह्-व्यय देशनांक साधारण व्यक्ति की क्रय शक्ति के बराबर है ?

श्री बी० आर० भगत : जैसा मैं कह चुका हूं, सामान्य रूप से निर्वाह व्यय की प्रवृत्ति घटने की हो गई है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का 'बराबर होने' से क्या अभिप्राय है । मेरे विचार में जुलाई १९५२ से प्रवृत्ति घटने की ओर ही है और मैं समझता हूं कि क्रय शक्ति तथा मूल्य एक होते जा रहे हैं ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये कम्बल

***२०४६. श्री गिडवानी :** पुनर्वास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार का ध्यान पटना के १० अप्रैल १९५३ के 'इंडियन नेशन' में छपे (उस के स्टाफ संवाददाता द्वारा दिये गये) समाचार की ओर दिलाया गया है कि लगभग पचास हजार रुपये के कम्बल जो कि विस्थापितों के लिये काम में लाये जाने थे फुलवाड़ी शरणार्थी शिविर में रखे रखे राख हो गये और उन्हें जला कर खत्म किया गया;

(ख) क्या लगभग पांच हजार कमीजें, पाजामें और कम्बल को एक बड़े स्टाक को जो बिहार शरीफ में कुछ वर्षों से पड़ा हुआ था बिहार सरकार के मंत्री ने पता दिया था कि वह सब एक स्टाकिस्ट के पास है; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग) सारी वस्तुयें बिहार सरकार की हैं, जो इस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है । पर वस्तुयें बिहार में १९४६ के दंगों में क्षति उठाने वाले लोगों के लिये थीं ।

भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम

***२०४७. श्री ए० एम० टामस :** (क) वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या त्रावनकोर-कोचीन के विभिन्न बैंकों ने भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के पूरी तरह लागू हो जाने के फलस्वरूप होने वाली कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन किया है ?

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या क्या प्रार्थनायें की गई हैं ?

(ग) सरकार ने इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

(घ) कितने बैंकों ने अभ्यावेदन किया है ?

(ङ) त्रावनकोर-कोचीन में कितने बैंक (पब्लिक के लिये) हैं ।

**अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार काट दिया गया— सम्पादक संसदीय वादविवाद ।

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) (क) तथा (ख) जी हां । अभ्यावेदनों में एक तो उन कठिनाइयों के बारे में कहा गया था जो कि बैंकों को उस समय उठानी पड़ीं जब उन्हें बैंकिंग कम्पनी अधिनियम की धारा २४ का पालन करने के लिये कहा जायेगा । अभ्यावेदन की दूसरी बात विवरण-पत्र में कूरी लेन देन से सम्बन्धित आंकड़ों के तथा अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न हिसाब किताब के पुनर्वर्गीकरण के बारे में थी ।

(ग) हाल ही में रिजर्व बैंक के एक अधिकारी को समस्या का अध्ययन करने के लिये त्रावनकोर-कोचीन भेजा गया था जिस ने अपनी रिपोर्ट पेश करदी है । बैंकिंग कम्पनी अधिनियम की धारा ५३ में बैंकों की कठिनाइयां दूर करने के लिये कुछ छूटों का उपबन्ध है । त्रावनकोर-कोचीन के बैंकों को कुछ छूट देने पर सरकार विचार कर रही है ।

(घ) ८८ बैंक ।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय त्रावनकोर-कोचीन में लगभग १६३ बैंक संस्थापित हैं जो अपना काम धंधा राज्य तक ही सीमित रखते हैं ।

श्री ए० एम० टामस : मांगों की सूची में, भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम की धारा ११ से मांगी गई छट नहीं है । क्या अभ्यावेदन में यह शामिल नहीं है ?

श्री ए० सी० गुहा : हां, श्रीमान, इस प्रश्न पर सरकार और रिज़र्व बैंक बराबर विचार कर रहे हैं । कल ही त्रावनकोर-कोचीन बैंकों ने कुछ प्रतिनिधि और इस सदन के कुछ सदस्य मंत्रालय वालों से मिले थे और उन्हों ने विभिन्न मामलों पर विचार किया था । मैं यहां बता दूं कि विचार करने के बाद सदस्य पूरी तरह से संतुष्ट थे ।

आर्डनैन्स फ़ैक्टरियां

***२०४९. सरदार ए० एस० सहगल : रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कल्याणवाला कमेटी की रिपोर्ट की परीक्षा की है जिस का सम्बन्ध आर्डनैन्स फैक्टरियों में होने वाले उत्पादन तथा आर्डनैन्स फैक्टरियों की रक्षा सम्बन्धी सामान के अलावा असैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रयोग में लाने की क्षमता का पता लगाने से है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : सरकार ने कल्याणवाला कमेटी की रिपोर्ट की परीक्षा की है । रिपोर्ट आर्डनैन्स फैक्टरियों में होने वाले उत्पादन के सम्बन्ध में नहीं है बल्कि विभिन्न संस्थापनों में, जिस में आर्डनैन्स फैक्टरियां भी शामिल हैं, काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन, नौकरी की शर्तों, आदि के सम्बन्ध में है ।

सरकार ने पृथक रूप से इस बात की जांच की है कि आर्डनैन्स फैक्टरियों में असैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की कहां तक अतिरिक्त सामर्थ्य है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सत्य है कि कल्याणवाला कमेटी के दो सदस्यों ने—रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव—यह सिफारिश की थी कि आर्डनैन्स फैक्टरियों में औद्योगिक कर्मचारियों के स्थायी तथा मुख्य भाग को बनाये रखा जा सकता है ?

श्री सतीश चन्द्र : जैसा मैं ने अभी बतलाया कल्याण वाला कमेटी की रिपोर्ट वेतन की श्रेणी तथा नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में है । उस ने उत्पादन के पहलू पर बिल्कुल विचार नहीं किया ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि ने यह भी सिफारिश

की थी कि स्थायी कर्मचारियों को रखने से पहले इस बात की पूरी तरह से जांच हो जानी चाहिये कि आर्डनैन्स फैक्टरियों में उत्पादन करने की अतिरिक्त सामर्थ्य कितनी है ?

श्री सतीश चन्द्र: सरकार के सामने एक प्रस्ताव है कि आर्डनैन्स फैक्टरियों का किस प्रकार से उत्तम प्रयोग किया जाये । इस पर विचार किया जा रहा है । हो सकता है कल्याणवाला कमेटी के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में इस का भी उल्लेख किया है । परन्तु यह कमेटी का कार्य नहीं था तथा निर्देश पदों में इस का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या वाणिज्यिक उत्पादन केन्द्रों के मुकाबले आर्डनैन्स फैक्टरियों में असैनिक सामान तैयार करने में अधिक लागत बैठती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): किस वस्तु की उत्पादन लागत ?

उपाध्यक्ष महोदय: आर्डनैन्स फैक्टरी में अनेक वस्तुयें तैयार की जाती हैं । कोई सामान्य प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है । दूसरा प्रश्न ।

श्री नाना दास : इस समय आर्डनैन्स फैक्टरियों में असैनिक आवश्यकताओं की कौन कौन सी वस्तुयें तथा कितनी उत्पादन की जा रही हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: इसी समय तो मैं उन समस्त वस्तुओं के नाम नहीं बतला सकता हूं जो वहां पर असैनिकों के लिये बनाई जाती हैं । परन्तु, मैं सदन को बतला दूं कि इस समय हम इस बात पर विशेष रूप से विचार कर रहे हैं कि आर्डनैन्स फैक्टरियों को असैनिक वस्तुयें तैयार करने में कहा तक प्रयोग किया जा सकता है । ऐसा करने में बहुत सी कठिनाइयां हैं किन्तु हम उन्हें हल कर लेंगे । आर्डनैन्स फैक्टरियां एक विशेष कार्य के लिये बनाई गई हैं । अन्य वस्तुयें बनाने के लिये उन में हेर फेर करना होगा; हो सकता है किसी वस्तु के बनाने के लिये और छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता पड़े । माननीय सदस्य ने लागत का सवाल उठाया था । किसी वस्तु के बनाने में कितनी लागत बैठती है यह एक दम से बताना सरल नहीं है । यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार हिसाब लगाते हैं—आप समस्त उपरि व्यय को शामिल करते हैं अथवा नहीं, आदि । इन सब मामलों पर इस समय विचार हो रहा है ।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या यह सत्य है कि कठिनाई इसलिये है क्यों कि आर्डनैन्स फैक्टरियों में तैयार किये जाने वाले सामान की उत्पादन लागत अन्य वाणिज्यिक फर्मों में तैयार किये जाने वाले सामान के मुकाबले अधिक है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: यह तो हिसाब लगाने से सम्बन्ध रखता है । यदि आप इन विशाल फैक्टरियों के समस्त उपरिव्यय को शामिल कर लेते हैं तो लागत बढ़ सकती है; अन्यथा नहीं ।

श्री वैलायुधन : आर्डनैन्स फैक्टरियों में काम करने वाले मज़दूरों की और आग छंटनी न करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता :

श्री वैलायुधन : यह होता है ।

श्री सतीश चन्द्र: यह बात अभी बतलाई गई है तथा इस से पहले भी अनेक बार सदन में बतलाई जा चुकी है कि असैनिक वस्तुओं तथा बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं को यहीं पर तैयार करने का प्रश्न विचाराधीन

है । आशा है कि हम इस सम्बन्ध में शीघ्र ही रूप रेखा तैयार कर लेंगे ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या पंच-वर्षीय योजना में इस बात पर ध्यान रखा गया है कि आर्डनैन्स फैक्टरियों में उत्पादन को उस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है जितनी कि उन में उत्पादन करने की क्षमता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे विचार में इस मामले पर पंच-वर्षीय योजना में विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया है, किन्तु हम ऐसा कर रहे हैं ।

लन्दनस्थित भारत स्टोर विभाग को दिये गये आर्डर

*२०५०. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने १३ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाले पिछले चार वर्षों में लन्दन स्थित भारत स्टोर विभाग के कार्य-संचालन की जांच की है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि लन्दन स्थित भारत स्टोर विभाग को उन वस्तुओं के लिये आर्डर दिये जा रहे हैं जो भारतीय आर्डनैन्स फैक्टरियों में सरलता से बनाई जा सकती हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) लन्दन स्थित भारत स्टोर विभाग का नियंत्रण निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा संसद मंत्रालय करता है जो कि इस के कार्य की देख भाल करता है ।

(ख) साधारणतः लन्दन स्थित भारत स्टोर विभाग को केवल उन्हीं वस्तुओं के लिये आर्डर दिया जाता है जो भारत में प्राप्त नहीं हो सकतीं, ना ही बनाई जा सकती हैं । फिर भी, हो सकता है, कुछ ऐसी वस्तुओं के लिये आर्डर दिये जाते हों जो आर्डनैन्स फैक्टरियों में बनाई जा सकती हैं किन्तु ऐसा इसलिये करना पड़ता है क्योंकि उन की मांग इतनी कम होती है कि उन का देश में निर्माण करना अलाभ-दायक होगा, अतः ऐसी वस्तुयें लन्दन स्थित भारत स्टोर विभाग द्वारा ब्रिटेन से मंगाई जाती हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या भारत स्टोर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि रक्षा मंत्रालय उन वस्तुओं के लिये आर्डर देता है जो भारत में उपलब्ध हैं या बनाई जा सकती हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : आर्डर देने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया इस प्रकार है—सप्लाई तथा उत्सर्जन के महासंचालक, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विकास विभाग तथा आर्डनैन्स फैक्टरियों के महासंचालक के पास साथ ही साथ आर्डर की प्रतिलिपियां भेज दी जाती हैं । यह सब लोग इस बात पर विचार करते हैं कि क्या वह विशेष वस्तु देश में बनाई जा सकती है अथवा प्राप्त की जा सकती है । यदि वैसा देश में ही हो सकता है तो भारत स्टोर विभाग को दिया गया आर्डर तुरन्त रद्द कर दिया जाता है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सत्य है कि भारत स्टोर विभाग की रिपोर्ट के पृष्ठ १७ के पैरा ११ में यह बतलाया गया है कि यदि यह वस्तुयें भारत ही में खरीदी जायें तो लागत कम पड़ेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है ।

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : क्या मैं अपने सहकारी रक्षा उपमंत्री की ओर से इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं ? यह सत्य है कि लन्दन संगठन की प्रादेशिक कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि उन को अधिकतर छोटी छोटी वस्तुओं के सम्बन्ध में आर्डर दिये जाते हैं । यह प्रश्न उन्हों ने उठाया है तथा इस पर निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय

तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से परामर्श कर के विचार कर रहा है। उन्हों ने बतलाया है कि ३० प्रतिशत आर्डर ३० पौंड से भी कम मूल्य के होते हैं तथा २० प्रतिशत आर्डर ३० और १०० पौंड के बीच के होते हैं। अतः मोटे तौर पर ५० प्रतिशत आर्डर १०० पौंड या उस से कम मूल्य के होते हैं।

श्री जी० पी० सिन्हा: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम आर्डनैन्स फैक्टरियों में फालतू कर्मचारियों को बनाये रख रहे हैं इसलिये उत्पादन की अन्तिम लागत कम बैठेगी क्योंकि हमें कर्मचारियों को वेतन देना ही होगा चाहे हम वस्तुयें बनायें अथवा नहीं।

श्री सतीश चन्द्र: माननीय सदस्य ने जो स्थिति रखी है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी आर्डनैन्स फैक्टरियों में लगभग ५०,००० श्रमिक कार्य करते हैं। वर्तमान काम को देखते हुए हो सकता है लगभग ३००० श्रमिक बहुत शीघ्र फालतू हो जायें। अतिरिक्त वस्तुयें बना कर हम इन समस्त श्रमिकों से काम लेना चाहते हैं। इस समय वे फालतू नहीं हैं। एक या दो महीने में वे फालतू हो जायेंगे। हम आगे के महीनों के लिये योजना तैयार कर रहे हैं।

श्री नाना दास: वे कौन सी मुख्य वस्तुयें हैं जो भारत में नहीं बनाई जाती हैं किन्तु जिन्हें ब्रिटेन से आयात किया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यहां पर सब को कैसे बतलाया जा सकता है। उन की संख्या सैंकड़ों में है। माननीय सदस्य प्रश्न की सूचना दे कर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न।

व्यावसायिक धन्धों में विस्थापित व्यक्तियों का प्रशिक्षण

*२०५१. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५३ तक व्यावसायिक धन्धों में कितने विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया;

(ख) वर्ष १९५२-५३ में प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा उन के प्रशिक्षण पर कितना व्यय हुआ; तथा

(ग) क्या सरकार ने ऐसा कोई तरीका अपनाया है जिस से यह मालूम किया जा सके कि प्रशिक्षित विस्थापित व्यक्तियों को काम मिल गया है अथवा नहीं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (ग). सूचना संग्रह की जारही है तथा यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

लाला अचित राम: क्या गवर्नमेंट की तरफ से इन सैंटर्स के निरीक्षण का कोई इंतजाम है कि वहां पर विद्यार्थियों को ठीक तरह पर ट्रेनिंग दी जाती है ? जो वर्क सैंटर्स हैं उन के निरीक्षण के लिये गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम है या नहीं ?

श्री जे० के० भोंसले : हां, स्टेट्स गवर्नमेंट्स उस का इंतजाम करती हैं।

लाला अचित राम: क्या आप को मालूम है कि वह निरीक्षण कितनी देर से होता है, तीन महीने बाद, छः महीने बाद, या साल भर बाद ?

श्री जे० के० भोंसले : हमेशा होता रहता है, तीन महीने बाद।

लाला अचित राम: क्या आप बतला सकते हैं कि पिछले निरीक्षण की रिपोर्ट जो थी वह क्या थी ? क्या आप के पास रिपोर्ट पहुंची है कि वह निरीक्षण कैसा हुआ और उस निरीक्षण का नतीजा कैसा है ?

श्री जे० के० भोंसले: वह रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती : वह स्टेट्स गवर्नमेंट के पास जाती है ।

लाला अचिंत राम: क्या आप के पास ऐसी इत्तिला है कि जो विद्यार्थी इन ट्रेनिंग सेंटर्स में तालीम हासिल करते हैं वे अपने पूरे समय में इतनी महारत हासिल नहीं कर पाते कि अपना काम बाद में शुरू कर के चला सकें ?

श्री जे० के० भोंसले: सब के साथ ऐसा होता है ।

लाला अचिंत राम: क्या आप को इस बात का इल्म है कि ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि अपना ट्रेनिंग का पीरियड खत्म करते हैं, लेकिन उन को इतनी महारत हासिल नहीं होती कि वे अपना काम चालू कर सकें ? क्या आप को इस की इत्तिला है ?

श्री ए० पी० जैन: सब तरह के विद्यार्थी होते हैं । कुछ सीख जाते हैं, कुछ रद्दी होते हैं जो नहीं सीख पाते और छोड़ कर चले जाते हैं ।

लाला अचिंत राम: माननीय मंत्री जी ने इसी तरह से पहले भी कई बार जवाब दिया है । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा इंतजाम है कि जो विद्यार्थी अपना कोर्स ठीक तौर पर समय से नहीं सीखते हैं वह उस को ठीक से सीख सकें, क्या आप ने कोई उस के लिये इंतजाम किया है, क्योंकि आप की गवर्नमेंट का मुख्य काम ट्रेनिंग देने का है ?

श्री ए० पी० जैन: कुछ तो इतने रद्दी होते हैं कि उन को चाहे जितने अरसे तक रखें, वह आगे नहीं सीख सकते ।

लाला अचिंत राम खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूं ।

गज़टेड तथा नान-गजटेड नियुक्तियों में कमी

*२०५२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या **वित्त** मंत्री ७ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७ के सम्बन्ध में दिये कये उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न के भाग (क), (ख) तथा (ग) में पूछी गई सूचना अब उपलब्ध है;

(ख) क्या उक्त प्रश्न के भाग (घ) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में निर्देशित "विशेष यूनिट" ने, जिस में गृह तथा वित्त मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं, अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ग) इस 'यूनिट' (दल) ने मितव्ययता के क्या क्या सुझाव दिये थे और इन सुझावों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है;

(घ) इस तरह कुल कितने रुपये की बचत हुई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) एक विवरण जिस में बतलाया गया है कि १५-८-१९४७ से १-११-१९५२ तक कितने पद कम किये गये हैं और कितने नये निकाले गये हैं और इस के फलस्वरूप व्यय में कितनी बचत और वृद्धि हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) विशेष 'यूनिट' भारत सरकार के सब मंत्रालयों, उन के अधीन २०० से अधिक संलग्न तथा अधीन कार्यालयों में जिन में बाहर के कार्यालय भी सम्मिलित हैं, कर्मचारियों की संख्या की स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा । यूनिट ने अब तक खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और इस के २७ संलग्न तथा अधीन कार्यालयों का, सिंचाई तथा

विद्युत मंत्रालय और इस के संलग्न कार्यालय केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का श्रम मंत्रालय और इस के अधीन ४ कार्यालयों का और लोक सेवा आयोग के कार्यालय का निरीक्षण किया है। इस ने आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के प्रधान कार्यालय पर भी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की है। इस समय यूनिट डाक तथा तार अधिदेश का पुनर्विलोकन कर रहा है ।

(ग) तथा (घ). इस समय तक कुल ९६ लाख रुपये की मितव्ययता का सुझाव दिया गया है और विभिन्न मंत्रालयों में निम्न बचत होगी :

(१) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा इस के संलग्न और अधीन कार्यालय

६७ लाख रुपये

(२) सिंचाई तथा विद्यत मंत्रालय और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग

१७ लाख रुपये

(३) श्रम मंत्रालय और इस के संलग्न तथा अधीन कार्यालय

४ लाख रुपये

(४) लोक सेवा आयोग का कार्यालय

०·४२ लाख रुपये

(५) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय

७.४ लाख रुपये

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और इस के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (विद्युत विभाग) के बारे में सरकार ने यूनिट की कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। मद ३, ४ और ५ में उल्लिखित कार्यालयों और संस्थाओं के बारे में की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं। जो सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं, उन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष २४ लाख रुपये की बचत होगी। कर्मचारीवृन्द की संख्या में स्वीकृत कमी करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : पटल पर रखे गये विवरण में बतलाया गया है कि ३५३ गज़ेटिड पद कम किये गये हैं और ८२३ गजेटिड पद नये निकाले गये हैं और २०६० नान-गज़ेटिड पद कम किये गये हैं और ३९५५ नये निकाले गये हैं। मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार की छंटनी में लाये गये सब या अधिकतर कर्मचारियों को नये निकाले गये पदों पर नियुक्त किया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : आम तौर पर छंटनी में लाये गये कर्मचारियों को नये निकाले गये पदों पर लगा दिया जाता है, परन्तु इस शर्त पर कि वे उन पदों के योग्य हों।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं जान सकता हूं कि क्या इन कर्मचारियों को वास्तव में नियुक्त किया गया है या नहीं ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास सविस्तार जानकारी नहीं है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : कहा गया है कि कुछ बचत की गई है, किन्तु विवरण में बतलाया गया है कि गज़ेटिड पद पर काम करने से ३६८९८४३ रुपये की बचत हुई है ६४२१०८३ रुपये.....

उपाध्यक्ष महोदय : हम इतने विस्तार में कैसे जा सकते हैं ? इस प्रश्न की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए थी ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : इस विवरण चलता है कि बचत करने के बजाय अधिक से 'पता खर्च किया गया है। अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि मितव्ययता की गई है ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि मैं ने पहले कहा है कि यह दल १९५२ से काम कर

रहा है और इस ने केवल चार या पांच मंत्रालयों की परीक्षा की है। विवरण में १९४७ से १९५२ तक सब पद बतलाये गये हैं। जब मंत्रालयों की जांच हो जायगी, तो मितव्ययता स्वयं प्रकट हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कुलपतियों तथा राज्य शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

*२०५४. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में नई दिल्ली में आयोजित कुलपतियों तथा राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भारत के सब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आमंत्रित किया गया था ?

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्मेलन में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किस ने किया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). सभी कुलपतियों को आमंत्रित किया गया था, परन्तु उस समय चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति कोई नहीं था, इसलिए उस सम्मेलन में इस विश्वविद्यालय का कोई प्रतिनिधि नहीं था।

डा० राम सुभग सिंह : कितने समय से दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कोई नहीं था और इस का कारण क्या था ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : कोशिश कर रहे हैं कि वे जल्द चार्ज लें।

डा० राम सुभग सिंह : कितने दिनों से वाइस चान्सलर के पद पर दिल्ली यूनीवर्सिटी में कोई नहीं था और उस के न होने का कारण क्या था ? क्यों नहीं था ?

मौलाना आज़ाद : मैं समझता हूं शायद सात आठ महीने की मुद्दत गुजरी है। कारण उस का यह था कि जो वाइस चान्सलर ने स्तीफ़ा (त्यागपत्र) दे दिया था, नये वाइस चान्सलर के मामले में कुछ दिनों तक यूनीवर्सिटी ने देर की। फिर जब कमेटी बनी तो कमेटी के काम में देर हुई। अब नये वाइस चान्सलर मुकरर (नियुक्त) हो चुके हैं और उम्मीद है वह जल्द चार्ज ले लेंगे।

अडंमान को बसाना

*२०५५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपों में अपनी बसाने की योजना में कोई परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तित योजना क्या है और इस नई योजना के अनुसार आगामी पांच वर्षों में वहां कितने परिवार बसाये जायेंगे ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता । संभवतः माननीय सदस्य को सरकार की नीति के बारे में कुछ गलत फ़हमी है। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो निश्चय किया है वह यह है कि उपनिवेशन की योजना शरणार्थियों के पुनर्वास तक ही सीमित न होगी, बल्कि उपनिवेशन के सामान्य प्रश्न के सम्बन्ध में होगी। किन्तु उपनिवेशन की सामान्य योजना में शरणार्थियों के पुनर्वास को वरीयता दी जायेगी। तदानुसार हम इस वर्ष केवल पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को वरीयता दे रहे हैं। अगले वर्ष से ७५ प्रतिशत उपनिवेशन पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए सुरक्षित रखा जायेगा और शेष भारत के अन्य भागों के लोगों के लिए ।

श्री थानू पिल्ले : मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान को छोड़ कर अन्य स्थानों के शरणार्थियों को वरीयता दी जायेगी ?

श्री दातार : केवल शरणार्थियों को नहीं, बल्कि अन्य भागों के सदस्यों या नागरिकों को वरीयता दी जायेगी । उदाहरणतया हमें त्रावनकोर-कोचीन गुजरात और कुछ अन्य भागों से प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं। जहां तक मुख्य उपनिवेशन योजना का सम्बन्ध है, उन के मामलों पर अगले वर्ष से विचार किया जायेगा। किन्तु साथ ही हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या उत्तरी अंडमान म जहां आधी साफ़ की हुई भूमि उपलब्ध है त्रावनकोर-कोचीन के कुछ परिवारों को बसाया जा सकता है ।

श्री थानू पिल्ले : मेरा प्रश्न समुद्र पार से, जैसे सीलोन आदि से आने वाले शरणार्थियों के बारे में था, न कि अन्य राज्यों से आने वालों से ।

श्री दातार : उन के मामलों पर भी विचार किया जायेगा।

श्री थानू पिल्ले : अन्य शरणार्थियों के बारे में क्या स्थिति होगी ?

श्री दातार : जहां तक शरणार्थियों का सम्बन्ध है, हम इस समय पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को वरीयता दे रहे हैं। इस के बाद हम भारत के अन्य भागों से आने वाले शरणार्थियों के मामले पर विचार करेंगे।

श्री थानू पिल्ले : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अंडमान द्वीपों में बसने के विषय में सीलोन से आने वाले लोगों के साथ पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की तरह समान व्यवहार किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा है कि पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को वरीयता दी जायेगी।

श्री दातार : जहां तक सीलोन के नागरिकों या व्यक्तियों का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया गया। संभवतः २५ प्रतिशत में उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जायेगा।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जनरल कालोनाइजेशन की जो स्कीम है वह कितने वर्ष में पूर्ण हो जायेगी ?

श्री दातार : यह योजना लगभग ४ करोड़ की लागत पर ५ वर्षों में पूर्ण हो जायेगी।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि इन पांच वर्षों में लगभग कितने एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया जायेगा।

श्री दातार : कुल २०,००० एकड़ को।

डा० राम सुभग सिंह : वहां कितने लोगों को बसाया जायेगा ?

श्री दातार : ४००० परिवारों को।

श्री दाभी : क्या मैं यह समझ लूं कि २५ प्रतिशत जिस की ओर माननीय मंत्री ने निर्देश किया है, गैर-शरणार्थी होंगे ?

श्री दातार : वे भारत के अन्य भागों से होंगे।

श्री दाभी : क्या वे गैर-शरणार्थी होंगे ?

श्री दातार : गैर-शरणार्थी भी होंगे :

श्री अल्तेकर : मैं जान सकता हूं कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के संसाधनों का विकास इस योजना का एक भाग है ?

श्री दातार : जी हां, यह योजना का भाग है।

लाटरियां

*२०५६. **श्री मादिया गौडा :** गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५१-५२ में किन्हीं राज्य

सरकारों को लाटरियां आयोजित करने की आज्ञा दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में और किन प्रयोजनों के लिए ये लाटरियां आयोजित की गई थीं; तथा

(ग) क्या राज्य सरकारों या सामान्य जनता को लाटरियां आयोजित करने की आज्ञा देने के बारे में सरकार की कोई निश्चित नीति है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार की नीति बराबर सब प्रकार की लौटरियों को---चाहे उनका उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों न हो---चलाने, प्राधिकृत करने या राजकीय समर्थन देने के विरोध में रही है, क्योंकि उन से जुए की भावना को प्रोत्साहन मिलता है और इस कारण वे हानिकर हो सकती हैं । निजी लाटरियों को लाइसेंस दिया जाना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

श्री मादिया गौडा: क्या सरकार को ज्ञात ह कि 'डर्बी स्वीपस्टेक' में प्रत्येक वर्ष एक बड़ी धनराशि भारत से बाहर जा रही है ?

श्री दातार: सरकार को पता है कि कुछ धन बाहर जा रहा है। जहां तक बर्मा और पुर्तगाली भारत के टिकटों का सम्बन्ध है, भारत सरकार पहले ही कार्यवाही कर रही है।

श्री मादिया गौडा: क्या सरकार यह बता सकती है कि इस में अब तक लगभग कितना धन बाहर जा चुका है ?

श्री दातार: मेरे पास यहां आंकड़े मौजूद नहीं हैं ।

श्री दाभी: क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ राज्य सरकारें लाटरियों को प्रोत्साहन देती हैं जो कि एक प्रकार का जुआ है ?

श्री दातार: जी नहीं। राज्य सरकारों ने लाटरियों को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया है। वस्तुत:, केवल दो अवसरों पर उन्हों ने लाटरियों की मन्जूरी देने की इच्छा प्रकट की थी, किन्तु उक्त प्रस्थापनाओं को भारत सरकार ने अस्वीकृत कर दिया।

श्री नानादास: क्या राज्य सरकारें इन लाटरियों पर कोई कर वसूल कर रही हैं ?

श्री दातार: मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री वीरास्वामी: क्या सरकार उक्त लाटरियों को बन्द करने की किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ?

श्री दातार: भारत सरकार की यह नीति तो हमेशा से रही है।

त्रिपुरा में प्राइमरी स्कूलों को सहायता

*२०५७. **श्री वीरेन दत्त:** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा में आदिमजातियों के लोगों द्वारा खोले गये तथा चलाये जाने वाले प्राइमरी स्कूलों को सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिल रही है और उन में से कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्द हो रहे हैं; तथा

(ख) क्या इन स्कूलों को आदिम-जातीय कल्याण निधि में से आर्थिक सहायता दी जाने की कोई प्रस्थापना है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख). सरकार को इस स्थिति का ज्ञान तो नहीं है परन्तु यह पता लगाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं कि ऐसे कितने

स्कूल विद्यमान हैं तथा सहायक अनुदान पाने के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या २०५८ श्री कमल सिंह ।

उपाध्यक्ष महोदय: डा० अमीन। भविष्य में इस नियम का अनुसरण किया जाये कि जब कोई प्रश्न दो माननीय सदस्यों द्वारा रखा जाये तो वे पहले से ही इस विषय में आपस में बात कर लें और यदि एक सदस्य यहां उपस्थित न हो तो दूसरा सदस्य उठ कर प्रश्न प्रस्तुत कर दे। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो मैं उस प्रश्न को छोड़ कर दूसरा ले लिया करूंगा।

यात्रा भत्ता सम्बन्धी नियम

*२०५८. **डा० अमीन:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे की श्रेणियों में हाल में किये गये परिवर्तनों का भिन्न भिन्न वर्ग के सरकारी पदाधिकारियों के लिये यात्रा भत्ता सम्बन्धी नियमों पर भी प्रभाव पड़ेगा; तथा

(ख) क्या सरकार यात्रा भत्ता सम्बन्धी नियमों की एक प्रतिलिपि सदन-पटल पर रखेगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा इस विषय पर निर्गमित अन्तरिम अनुदेशों की एक प्रतिलिपि सदन-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५४]**

डा० अमीन: यात्रा भत्ता सम्बन्धी प्रस्तावित नियमों से कितनी बचत होगी ?

श्री एम० सी० शाह: हमारे पास यहां जानकारी नहीं है।

श्री दाभी : रेलवे की श्रेणियों में परिवर्तन होने से संसद् सदस्यों के यात्रा भत्ते सम्बन्धी वर्तमान नियमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री एम० सी० शाह: यह तो संसद् सचिवालय को ही पता होगा।

श्री के० जी० देशमुख: क्या रेलों में से प्रथम श्रेणी समाप्त किये जाने के पश्चात् प्रथम श्रेणी में यात्रा करने को अधिकृत व्यक्तियों को द्वितीय श्रेणी में यात्रा करनी होगी ?

श्री एम० सी० शाह: यदि प्रथम श्रेणी नहीं रहेगी तो फिर उन्हें गाड़ी की सर्वोच्च श्रेणी में यात्रा करने का हक होगा।

गवेषणा प्रशिक्षण छात्रवृत्तियां

*२०५९. **श्री मादिया गौडा:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१–५२ तथा १९५२-५३ में (१) मैसूर विश्वविद्यालय तथा (२) उस्मानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये कितनी गवेषणा प्रशिक्षण छात्रवृत्तियां निर्धारित की गई थीं; तथा

(ख) उन वर्षों में इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) निम्नलिखित छात्रवृत्तियां निर्धारित की गई थीं :—

(१) मैसूर विश्वविद्यालय :

	सीनियर	जूनियर
१९५१–५२	३	१
१९५२–५३	६	–

(२) उस्मानिया विश्वविद्यालय :

१९५१–५२	–	–
१९५२–५३	५	५

(ख) मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा तो ७,५५६ रुपये ११ आने की राशि व्यय की

गई है और उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा कुछ व्यय नहीं किया गया है।

श्री नानादास : ये गवेषणा छात्रवृत्तियां किन किन विषयों के सम्बन्ध में दी जाती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के सम्बन्ध में। अभिप्राय यह है कि योग्य विद्यार्थी वैज्ञानिक विषयों में गवेषणा कर सकें।

श्री नानादास : वे विषय क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : विषयों की सूची किस प्रकार दी जा सकती है ?

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या ऐसी छात्रवृत्तियां अन्य विश्वविद्यालयों को भी दी गई हैं या केवल उपरोक्त दो विश्वविद्यालयों को ही ?

श्री के० डी० मालवीय : अभ्यंशों के आधार पर निर्धारित छात्रवृत्तियों की कुल संख्या ३०६ (सीनियर) तथा शायद २३८ (जूनियर) है।

श्री रघुनाथ सिंह : इन में हिन्दू यूनिवर्सिटी के वास्ते क्या ऐलाटमेन्ट हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस में सब का कोटा शामिल है। मैं इस समय बनारस यूनिवर्सिटी का कोटा अलग नहीं बतला सकता।

प्रो० डी० सी० शर्मा : पंजाब विश्वविद्यालय का अभ्यंश कितना है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैं ने अभी कहा, यह अभ्यंश सब विश्वविद्यालयों का है। ३०६ और २३८ का अलग अलग ब्यौरा मेरे पास मौजूद नहीं है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री यह जानकारी सदन पटल पर रख देंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अलग प्रश्न रख सकते हैं। जब एक सदस्य मैसूर विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी चाहता है तो इस का तात्पर्य यह तो नहीं है कि प्रत्येक सदस्य अपने अपने राज्य के बारे में पूछने लगे। यदि वे चाहें तो इस के लिये अलग प्रश्न रख सकते हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : बिल्कुल ठीक।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि किस यूनिवर्सिटी का कोटा सब से अधिक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैसूर विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय में ? मैं इस प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

करनाटक गायन-विद्या अकदमी

*२०६०. **श्री मादिया गौडा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाटक गायन-विद्या अकदमी की स्थापना में किन कठिनाइयों का सामना है ; तथा

(ख) इस की स्थापना की कब तक सम्भावना है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) (१) भाग लेने वाले प्रस्तावित राज्यों में से त्रावणकोर-कोचीन राज्य इस कारण इस में भाग नहीं लेना चाहता कि वहां पर पहले से एक पूर्णता सज्जित गायन महाविद्यालय चल रहा है।

(क) भारत सरकार तथा मद्रास, हैदराबाद और मैसूर राज्यों की सरकारों के बीच प्रस्तावित अकदमी के बारे में प्रत्येक राज्य के व्यय में भाग सम्बन्धी मतभेद है।

(ख) अभी कुछ समय के लिए तो इस प्रस्ताव का विचार छोड़ दिया गया है।

भारतीय विज्ञान संस्था बंगलौर

*२०६१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय विज्ञान-संस्था बंगलोर में वैज्ञानिक इंजीनियर्स विभाग के कब तक पूर्णत: बन जाने की आशा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : विभाग के सम्बन्ध में १९५१ में सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्यक्रम के अप्रैल, १९५४ तक पूरा हो जाने की आशा है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि भारत में किसी दूसरी जगह भी ऐसी एअरोनाटिकल इंजीनियरी सिखाई जाती है या नहीं और अगर सिखाई जाती है तो किस जगह पर और किस इन्स्टीट्यूशन में ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे मालूम है ऐसा समुचित प्रबन्ध भारतवर्ष में किसी और केन्द्र में नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस इंस्टीट्यूशन में पोस्ट ग्रेजुएट और ओवर्सीज़ ट्रेनिंग भी दी जायगी ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां। पर ओवर्सीज़ ट्रेनिंग से वहां की शिक्षा का क्या सम्बन्ध।

सरकारी सेवा में लेने के लिये शिक्षा स्तर

*२०६२. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संघ सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिस से सरकारी सेवा में व्यक्तियों को लेने के लिये उपाधि आदि पर ज़ोर नहीं दिया जायगा ?

(ख) यदि ऐसा है तो नियुक्तियों के लिये व्यक्तियों को किस आधार पर चुना जायगा ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) जी हां। इस सारे मामले पर विचार हो रहा है।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि इस सारे विचार को अन्तिम रूप कब दिया जायगा।

श्री के० डी० मालवीय : यथाशीघ्र।

श्री मुनिस्वामी : ऐसा कब सम्भव हो सकेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श हो रहा है। मामला बहुत सीधा नहीं है तथा कुछ समय तो इस में लगेगा। जसा कि मैं ने कहा है सरकार इस बारे में यथाशीघ्र फैसला करेगी।

प्रश्नो के लिखित उत्तर

निज़ाम से लिया गया ऋण

*२०३८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास या किसी और प्रयोजन से हैदराबाद के निज़ाम से ऋण लेते समय हैदराबाद राज्य सरकार ने राज्य मंत्रालय से परामर्श किया था;

(ख) यदि ऐसा है, तो कितना ऋण लिया गया था तथा किन प्रयोजनों से; तथा

(ग) यदि नहीं, तो क्या उस राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से लिए गए ऋणों के बारे में सरकार को विदित है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रु० मुद्रा में १२.२२ करोड़ रु० जो उस राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

परिसीमन आयोग

*२०४३. **श्री भीखा भाई :** (क) **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या परिसीमन आयोग के परिसीमन तथा स्थानों के रक्षित करने सम्बन्धी फैसलों में बाद में परिवर्तन हो सकेगा ?

(ख) वर्तमान रक्षित स्थानों पर बाद में अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ जोड़ने या उस से कुछ निकाल देने से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(ग) पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग की सिफारिशों से परिसीमन आयोग द्वारा निश्चित किए गए रक्षित स्थानों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विस्वास) : (क) परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा १० में निर्दिष्ट कुछ अमुख्य से संशोधनों के सिवाय, परिसीमन आयोग के अन्तिम फैसलों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

(ख) तथा (ग). संविधान के अन्तर्गत परिसीमन आयोग को उस जन संख्या के आधार पर निर्वाचन-क्षत्रों को निश्चित करना होगा, जो पिछली जनगणना से निश्चित की गई है। इस के अनुसार इस परिसीमन कार्य के करते समय आयोग को १९५१ की जनगणना से अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनसूचित जातियों के सम्बन्ध में प्राप्त हुई जनसंख्या के आधार पर उक्त जातियों के लिए स्थानों को रक्षित करना होगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की सूची में किए गए किन्हीं परिवर्तनों से तथा उन की संख्या में बाद में किए गए किसी अन्तर से पहले से किए गए किसी परिसीमन-काय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अम्बरनाथ आडनेंस फैक्टरी

*२०४८. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बरनाथ आर्डनेन्स फैक्टरी ने काम करना आरम्भ कर दिया है तथा यदि ऐसा सै तो कब से;

(ख) फैक्टरी में कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं तथा उन के वेतन आदि क्या हैं; तथा

(ग) इस फैक्टरी के पूर्णत: भारतीयों द्वारा प्रबन्धित होने की कब तक आशा की जाती है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अनुमान किया जाता है कि माननीय सदस्य का निर्देश अम्बरनाथ के मशीनी औज़ारों के मूल-नमूनों की फैक्टरी से है। इस फैक्टरी का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा १३ जनवरी, १९५३ को किया गया है।

(ख) २९.

इन टैक्नीशियन्स के वेतन ९०० स्विज़ फ्रैंक प्रति मास से लेकर १८५० स्विज़ फ्रैंक प्रतिमास तक हैं तथा इस के अतिरिक्त उन्हें ४५० स्विज़ फ्रैंक प्रति मास का विदेश भत्ता मिलता है। एक अधिकारी को २२०० स्विज़ फ्रैंक तथा ५५० स्विज़ फ्रैंक विदेश भत्ते के रूप में दिए जाते हैं।

(ग) तीन से पांच वर्ष के अन्दर अन्दर।

शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी संस्थाओं तथा निकायों को दिये गये अनुदान

*२०६३. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने वर्ष १९५२–५३ में भारत में या विदेशों में शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं तथा निकाओं को कितनी धनराशि अनुदान रूप से दी है?

शिक्षा, तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं तथा निकायों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रखी जायगी। चिकित्सा सम्बन्धी संस्थाओं के बारे में प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री से पूछा जाय।

विन्ध्य प्रदेश की सशस्त्र सेनायें

*२०६५. **श्री रणदमन सिंह:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विलीनीकरण से पहले विन्ध्य प्रदेश की विभिन्न रियासतों की सैन्य शक्ति कितनी थी और उस का स्वरूप क्या था;

(ख) इन सेनाओं के किन भागों को केन्द्रीय सरकार की सेनाओं में मिला लिया गया है;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार की सेनाओं में न मिलाई गई सेनाओं के किन्हीं सदस्यों से ऐसी कोई शिकायतें भी मिली हैं कि उन्हें जो सुविधायें मिलनी चाहियें थीं वे नहीं मिलीं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): विलीनीकरण से पहले विन्ध्य प्रदेश की विभिन्न रियासतों के सेना के दस्तों की जन-संख्या इस प्रकार से थी :—

(१) रीवा

वेनकर बटैलियन	५५४
पैदल सेना प्रशिक्षण केन्द्र	४८
सैनिक अस्पताल	१७
डब्लू/टी सैक्शन	१५

(२) पन्ना

छत्तरसाल पैदल सेना	१४७

(३) दातिया

प्रथम गोविन्द पैदल सेना	१५५
कुल	९३६

इस के अतिरिक्त निम्न गैर-भारतीय रियासती सेना के दस्ते भी थे जिन में कुछ भारतीय रियासती सेना का कर्मचारीवर्ग भी शामिल था।

विन्ध्य प्रदेश रियासती सेना

प्रधान कार्यालय

स्पलाई डिपो

एम० टी० तथा पशु परिवहन

बैन्ड

(ख) इन सेनाओं के किसी भाग को नियमित सेना में नहीं लिया गया।

(ग) जी हां।

(घ) सिवाय दो मामलों के जिन के सम्बन्ध में शीघ्र ही अन्तिम फैसले के होने की आशा की जाती है, प्रत्याशित निवृति-वेतनों को दिया गया है। अन्तिम समझौते के सम्बन्ध में शीघ्रतापूर्ण कार्यवाही की जा रही है।

अलीपुर की नई टकसाल

*२०६६. **श्री तेलकीकर: वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अलीपुर की नई टकसाल में इस समय केवल निकल की डलियों से ही निकल के सिक्के बनाए जा रहे हैं; तथा

(ख) क्या उस टकसाल में निकल के अतिरिक्त दूसरी धातुओं से भी सिक्के बनाने के प्रबन्ध हैं?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) नई टकसाल में इस समय निकल के कोई सिक्के नहीं बनाये जा रहे हैं। यह केवल कांसे के पैसों के सिक्के बना रही है।

(ख) हां, श्रीमान्, उस में कांसे, एलोमीनियम तथा कप्रो-निकल धातुओं से भी सिक्कों को बनाने तथा मैडल, टोकन और वैज आदि के बनाने के विस्तृत प्रबन्ध विद्यमान हैं।

अंग्रेजी तथा संस्कृत विभागों के मुख्य अध्यापकों के वेतन

*२०६७. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निम्न शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी तथा संस्कृत विभागों के मुख्य अध्यापकों के प्रथम जनवरी १९५३ को वेतन क्या थे।

(१) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय; तथा

(२) अलीगढ़ विश्वविद्यालय।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): सूचना एकत्र की जारही है तथा सदन पटल पर रखी जायगी।

युवक कल्याण तथा शारीरिक शिक्षा

०२०६८. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवक कल्याण तथा शारीरिक शिक्षा के किन कामों के लिये उपबन्धित धन राशि का व्यय किया जाता है;

(ख) १९५२-५३ में कितना धन व्यय किया गया तथा किन मदों पर; तथा

(ग) क्या सरकार, १९५१ में जो युवक कल्याण गोष्ठी हुई थी उस की सिपारिशों को तथा ऐसी योजनाओं को, जो सरकार ने इस कार्य के निमित्त बनाई हों, सदन पटल पर रखेगी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): यह उपबन्ध खेल कूद सम्बन्धी अखिल भारतीय संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय खेल कूद कार्यक्रम में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने तथा शारीरिक शिक्षा में अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहन देने तथा देश में युवक कल्याण सम्बन्धी कार्यों को बढ़ाने के लिये है।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया—देखिये संख्या एस-७७/५३**]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

*२०६९. **पंडित डी० एन० तिवारी:** **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत जब से यह लागू हुआ तब से अब तक चलाये गये मुकदमों (राज्यवार) की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): १२ अगस्त १९५२ से, जब भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९५२ लागू हुआ, ३१ मार्च १९५३ तक चलाये गये मुकदमों की संख्या (राज्य वार) निम्न प्रकार थी:—

पश्चिमी बंगाल	२
दिल्ली	३
पंजाब	१
कुल योग	६

पैप्सू के न्यायालयों में विचाराधीन मामले

*२०७१. **डा० सत्यवादी:** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पैप्सू के न्यायालयों में कितने मामले गत दस से बीस वर्ष तक से विचाराधीन हैं; और

(ख) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) कोई नहीं ।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता ।

१९५३-५४ के लिये छात्रवृत्ति बोर्ड

*२०७२. **श्री नानादास**: क्या **शिक्षा** मंत्री २५ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११५० के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये वर्ष १९५३–५४ के लिये छात्रवृत्ति बोर्ड स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस बोर्ड के कौन कौन सदस्य हैं;

(ग) यदि स्थापित नहीं किया गया तो यह बोर्ड कब स्थापित किया जायगा; तथा

(घ) क्या इस कार्य के लिये कोई चुनाव किया जायगा; तथा

(ङ) जैसे कि बोर्ड ने गत वर्ष सिफारिश की थी कि इस बोर्ड में केवल संसद् के सदस्य ही रखे जायें, इस के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :

(क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ग) तथा (घ) ये उत्पन्न नहीं होते ।

(ङ) छात्रवृत्ति बोर्ड ने, जिस की बैठक १३-५-५२ को हुई थी अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि वर्ष १९५३-५४ के लिये इस के सदस्य केवल संसद् सदस्य तथा सरकारी अधिकारी ही हों । इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है, इस में केवल इतना संशोधन किया गया है कि भारत के एक विश्वविद्यालय के एक उपकुलपति को भी नियुक्त किया गया है ।

औद्योगिक वित्त निगम की कार्यप्रणाली की जांच के लिये जांच समिति

*२०७३. **श्री के० सी० सोधिया**: (क) **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जांच समिति ने, जो कि औद्योगिक वित्त निगम की कार्यप्रणाली की जांच करने तथा उस की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये बनाई गई थी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ख) इस समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कितना समय दिया गया था और यदि इस में विलम्ब के कोई कारण हैं तो क्या कारण हैं ?

(ग) क्या रिपोर्ट प्रकाशित की जायेगी अथवा उस का संक्षिप्त रूप प्रकाशित किया जायगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) जी हां, ७ मई, १९५३ को ।

(ख) आरम्भ में ऐसी आशा थी कि समिति अपनी रिपोर्ट दो महीनों में प्रस्तुत कर देगी किन्तु इस समय अवधि का निम्नलिखित कारणों से पालन नहीं किया जा सका :—

(१) जनता द्वारा तथा वाणिज्य तथा उद्योग विभिन्न मण्डलों तथा संस्थाओं द्वारा समिति को अपनी सम्मत्ति व्यक्त करने

की तारीख सब के कहने पर १५ फरवरी १९५३ की बजाय २९ फरवरी, १९५३ तक बढ़ा दी गई ।

(२) कलकत्ता में कुछ गवाहों की गवाही लेनी पड़ी थी; तथा

(३) निगम के प्रधान कार्यालय में रखी गई केस फाइलों को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक ऋण की विस्तृत जांच करनी पड़ी थी ।

(ङ) सरकार इस समय इस रिपोर्ट की जांच कर रही है । इस ठीक तरीके पर भी, जिस में यह रिपोर्ट या इस का संक्षिप्त रूप प्रकाशित किया जाना चाहिये, विचार किया जा रहा है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के भूत-पूर्व सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

*२०७५. **श्री राजगोपालराव** : (क) **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को सर आर्थर ट्रेवर्स हैरिस की उपपत्ति प्राप्त हो गई हैं, जिन्हों ने कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार तथा पदस्थिति का अनुचित लाभ उठाने के आरोपों की जांच की थी ?

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार को उस उपपत्ति पर विचार करने तथा उस पर कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा तथा वह कब प्रकाशित कर दी जायेगी ?

(ग) यदि ऐसा नहीं है, तो सरकार को उस उपपत्ति के कब तक मिलने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हां ।

(ख) सर ट्रेवर्स हैरिस की रिपोर्ट पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और जांच को पूरी तरह से समाप्त करने तथा अन्तिम निर्णय (सम्बद्ध अधिकारी के विरुद्ध) पर पहुंचने के विषय में क्या और कार्यवाही करनी चाहिये, इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय कर लेगी ।

(ग) यह उत्पन्न नहीं होता ।

हैदरबाद स्टेट बैंक के परिसम्पत तथा दायित्व

*२०७६. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५३ को हैदराबाद स्टेट बैंक के परिसम्पत तथा दायित्व क्या थे जब हैदराबाद के सिक्कों तथा मुद्रा के विमुद्रीकरण के बाद रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने राज्य वित्त को अपने हाथ में ले लिया;

(ख) हैदराबाद स्टेट बैंक के अब क्या कार्य हैं, जो कि विमुद्रीकरण से पहिले राज्य वित्त सम्बन्धी कार्य चलाया करता था; तथा

(ग) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया तथा हैदराबाद स्टेट बैंक के बीच यदि कोई कार्य-कारी समझौता है, तो उस की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) ३१ मार्च, १९५३ को परिसम्पत तथा दायित्व प्रत्येक १८·५४ करोड़ रुपयं था ।

(ख) पहिली अप्रैल, १९५३ से रिज़र्व बैंक के हैदराबाद राज्य सरकार के बैंक के रूप में नियुक्त हो जाने पर हैदराबाद स्टेट बैंक ने राज्य सरकार के बैंक के रूप में काम करना बन्द कर दिया किन्तु अब वह सरकारी काम चलाने के लिये रिज़र्व बैंक का मुख्य एजेन्ट है । बैंक के कार्यों में अन्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ग) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया तथा हैदराबाद स्टेट बैंक के बीच हुए समझौते की एक प्रति २१ अप्रैल, १९५३ को सदन पटल पर रख दी गई थी ।

हैदराबाद सेवा में केन्द्रीय पुलिस अधिकारी

*२०७७. **श्री एच० जी० वैष्णव : राज्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बाहर से भेंजे गये उन गज़ेटेड पुलिस अधिकारियों की जो हैदराबाद राज्य पुलिस में अब भी हैं, संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): १४ ।

कर्नाटक की स्थिति

*२०७८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में संयुक्त कर्नाटक की मांग के परिणामस्वरूप होने वाले जन आन्दोलन तथा बिगड़ती हुई शांति तथा व्यवस्था की स्थिति का पता है; तथा

(ख) ग्राम निवासियों, स्थानीय निकायों, विभिन्न संस्थाओं तथा लोगों द्वारा पारित किये गये कितने अभिवेदन तथा संकल्प अभी तक प्राप्त हुए हैं, और इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) सरकार को मालूम है कि इस मामले के सम्बन्ध में लोगों में क्षोभ है ।

(ख) सरकार को इस विषय के सम्बन्ध में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । मैं बेलगाम में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि समाचारपत्रों में पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ है । इस विषय में मुझे और कुछ नहीं कहना ।

राज्यों को सहायक अनुदान

*२०७९. **श्री भीखा भाई :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७१४ का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई तथा मध्य भारत, वर्ष १९५२-५३ में उन को सहायक अनुदान के रूप में नियत की गई पूरी राशि को खर्च नहीं कर सके हैं, तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो जो राशि खर्च नहीं की गई वह कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). बम्बई सरकार ने अनुदान की पूरी राशि ८·५० लाख रुपये खर्च कर दिये हैं । मध्य प्रदेश में १७ लाख की अनुदान की राशि में से १,३६,००० रुपये की बचत होने की आशा है ।

सोमनाथ का मन्दिर

*२०८०. **श्री बादशाह गुप्त : शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सोमानाथ के मन्दिर की मरम्मत पर अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : भारत सरकार ने सोमनाथ के मन्दिर की मरम्मत पर कोई खर्च नहीं किया है ।

भूतपूर्व अपराधी आदिमजातियों का उद्धार

*२०८१. **श्री मुनिस्वामी : :** (क) **गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व अपराधी आदिमजातियों के उद्धार के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस विषय पर हाल ही में प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था ?

(ग) १९५३-५४ के लिये ३० लाख रुपये के अनुदान को किस प्रकार खर्च किया जायेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५५]**

कलकत्ता विश्वविद्यालय को अनुदान

*२०८२. **श्री के० के० बसु**: शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को मंजूर किये गये पूंजी अनुदान को वापस ले लिया है या कम कर दिया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो, इस के कारण ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) तथा (ख). जी नहीं ।

भारत के स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास

*२०८३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: (क) शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास लिखने के लिये नियुक्त की गई समिति की हाल में कोई बैठक हुई थी ?

(ख) यदि हुई थी तो उस में क्या फैसले किये गये ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी हां ।

(ख) यह तय हुआ था कि इस इतिहास को एक ही आन्दोलन के रूप में देखा जाये और सामग्री के इकट्ठे करने तथा उस की छान बीन करने के अलावा १९५३-५४ में भूमिका के एक प्रारूप को तैयार करने के लिये, जिस में आन्दोलन की पृष्ठ भूमि बतलाई गई हो, कदम उठाये जाने चाहियें ।

मेसर्स हापकिन्स एंड विलियम्स

१४१०. **श्री मात्तन**: (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि मेसर्स हापकिन्स एंड विलियम्स की प्रदत्त पूंजी तथा रक्षित निधि कितनी है और पिछले दो वर्षों में प्रति हिस्से पर कितनी राशि दी गई है और कितना लाभांश बांटा गया है ।

(ख) क्या सरकार उन के सन्तुलन पत्र की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखेगी ?

(ग) त्रावनकोर-कोचीन के खनिज उद्योग के सम्बन्ध में कम्पनी का वर्तमान स्तर तथा कृत्य क्या हैं ?

(घ) क्या कम्पनी के पास उक्त खनिज रेतों में ब्यापार धंधा करने के लिये सरकार का दिया हुआ कोई लाइसेंस है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना त्रावनकोर-कोचीन सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनःनिर्माण निधि

१४११. **श्री भक्त दर्शन**: (क) **रक्षा** मंत्री २० नवम्बर १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १८० के उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने ३१ मार्च १९५३ तक भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनःनिर्माण निधि में से कोई अग्रेतर राशि व्यय की है ?

(ख) यदि हां, तो इस व्यय के पूरे विवरण क्या हैं ?

(ग) निधि में उस तारीख को बकाया राशि कितनी थी ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

पुस्तकालयों को रेडियो

१४१२. **श्री झूलन सिन्हा:** शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना है जिस के अन्तर्गत सरकार शिक्षा विकास के लिये पुस्तकालयों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को राज्य सरकारों के द्वारा रेडियो देती हो; तथा

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने रेडियो दिये जा चुके हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) तथा (ख). जी नही ।

पूंजी निर्गम आदेश

१४१३. **श्री के० के० वसु: वित्त** नंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पूंजी निगम आदेश के अन्तर्गत वर्ष १९४८ से प्रति वर्ष मंजूर की गई पूंजी की कुल राशि ;

(ख) उद्योग वार मंजूर की गई राशि; तथा

(ग) विदेशी पूंजी का अनुपात ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) मंजूर की गई राशियां इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

१९४८	१२५·७
१९४९	६३·०
१९५०	७४·८
१९५१	५९·६
१९५२	३९·८
कुल	३६२·९

(ख) तथा (ग) विवरण इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	उद्योग	(ख) मंजूर की गई पूंजी की कुल राशि	(ग) मंजूर की गई पूंजी में से विदेशी पूंजी का अनुपात
१	२	३	४
		(लाख रुपयों में)	
(१)	खनिज पदार्थ तथा पत्थर निकालना	८१२·५२	२८७·६०
(२)	लोहा तथा इस्पात तैयार करना	११८१·२५	४१·५४
(३)	अलौह धातुएं	३०९·००	१·५०

१	२	३	४
(४)	बिजली सम्बन्धी उद्योग (रेडियो निर्माण सहित)	५२७·१०	२२६·४१
(५)	जहाज़ बनाना तथा मरम्मत	५१६·५३	...
(६)	रासायनिक	१५१४·०४	२२२·६३
(७)	दवाइयें	८२·२५	..
(८)	रंग तथा रोग़न	२१३·७६	५२·४०
(९)	टाइल, ईंट तथा अन्य निर्माण संबंधी सामग्री	१००·६७	३४·२०
(१०)	कांच बनाना	१५२·००	५४·१०
(११)	सूत कातना तथा बुनना	४७२१·६६	५१·०२
(१२)	पटसन कातना तथा बुनना	८३७·८०	२१·०५
(१३)	ऊनी तथा वरसटेड मिलें	५१७·०७	६·२०
(१४)	काग़ज़ तथा स्ट्रॉ बोर्ड का बनाना	८१६·७६	२३·८२
(१५)	बिजली का पैदा करना और बांटना	२०४३·८७	३६२·३५
(१६)	चीनी बनाना	१३१३.२६	·०·०८
(१७)	रोलिंग मिलें	३३०·००	...
(१८)	इंजीनियरिंग	१७७६·४३	१२७·८५
(१९)	कारों का बनाना	३९८·५०	१३·४७
(२०)	हवाई जहाज़ बनाना	२१२·७५	
(२१)	तेल मिलें	९९·९५	...
(२२)	सीमेन्ट बनाना	१२४५·५०	२५·००
(२३)	सिल्क फैक्टरियां	६२२·१९	..
(२४)	प्लास्टिक्स	५५·४०	..
(२५)	चावल तथा आटे की मिलें	६५·३२	..
(२६)	खाद्य संरक्षण तथा बिजलीयन	७६·५०	..
(२७)	साईकिल बनाना	२४५·६२	३८·६०
(२८)	वैंजीटेबुल फ़ैट	१८३·९०	३५·५०
(२९)	साबुन बनाना	२०२·००	११२·००
(३०)	निर्माण कम्पनियां तथा गृह निर्माण संस्थायें	१२०९·७०	४९·५१
(३१)	प्रिंटिंग तथा फिनिशिंग फैक्टरियां	४०·००	...
(३२)	जूट प्रैस	३३·४०	...
(३३)	बर्फ तथा सोडे आदि का पानी	८९·२१	.
(३४)	तम्बाकू बनाना	१५७·५०	३२·७८
(३५)	फिल्म बनाना	२६१·००	१२·००
(३६)	माचिस बनाना	७२·००	६०·००

१	२	३	४
(३७)	रबड़ बनाना	८४०·४८	१४५१८
(३८)	शराब बनाने के कारखाने	३२·८७	१३२०
(३९)	काटन जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियां	७०·००	...
(४०)	नमक बनाना	४३·५०	..
(४१)	इंजन के बायलर आदि बनाना	१५०·००	...
(४२)	सीने का धागा बनाना	२९५·००	२९५००
(४३)	टाइपराइटरों का बनाना	२००·००	२००००
(४४)	पैट्रोल शोधन कारखाने	२२५·००	२२५००
(४५)	अलुमीनियम के बर्तन बनाना	१२८·००	...
(४६)	अन्य उद्योग	६२२·५४	३६४८३
(४७)	चाय तथा काफी आदि के बागीचे	३४३·९९	३६३५
(४८)	कृषि तथा भूमि सम्बन्धी सुधार	२०९·४३	...
(४९)	होटल और क्लब	५७३·५०	१२७५.
(५०)	विज्ञापन तथा प्रकाशना	२००·५९	८८२
(५१)	डेरी तथा मत्स्य-ग्रहण	४९·८३	...
(५२)	व्यापार कम्पनियां	२०·५७०२	५३४८०
(५३)	जहाज़ कम्पनियां	२५७७·००	१००००
(५४)	वायु परिवहन	४७०·००	...
(५५)	अन्य परिवहन कम्पनियां	८०·३७	...
(५६)	बैंक	८६५·४४	...
(५७)	विनियोजन प्रन्यास	४३५·१५	...
(५८)	बीमा कम्पनियां	२९५·७३	..
(५९)	देशीय साहूकार (निधि, ऋण कार्यालय आदि)	२·५५	
(६०)	मनेजिंग ऐजेन्सियां	१५६५·०७	२९२९८
(६१)	अन्य सेवायें	९१५·८०	४२५२
	कुल	३६२८७·९०	४१६९०४

अंक ५

संख्या १

मंगलवार

१२ मई, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

——:०:——

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सूची

पटल पर रख गये पत्र—
प्रतिरक्षा सेवाओं का विनियोग लेखा इत्यादि [पृष्ठ भाग ५२१५—५२१६]

भारत के लोक प्रशासन पर किए गए आपरीक्षण की रिपोर्ट [पृष्ठ भाग ५२१६]

लोक लेखा समिति में राज्य परिषद् के सदस्यों के भाग लेने से संबंधित प्रस्ताव [५२१६—५२२०]

विन्ध्य प्रदेश विधान सभा (अनर्हता निवारण विधेयक) विचारार्थ प्रस्ताव—स्वीकृत हुआ [पृष्ठ भाग ५२२०—५२३१ तथा ५२३२—५२७४]

विशेषाधिकार का प्रश्न—
एक सदस्य की गिरफ्तारी [पृष्ठ भाग ५२३१—५२३२]

(मूल्य ६ आने)

लोक सभा

मंगलवार, १२ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिरक्षा सेवाओं का विनियोग लेखा इत्यादि

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): संविधान के अनुच्छद १५१ (१) के अधीन मैं निम्नलिखित पत्रों की प्रतियां पटल पर रखता हूं :

(१) प्रतिरक्षा सेवाओं का १९५०-५१ का विनियोग लेखा। [**पुस्तकालय में रखा है। देखिये संख्या ४, ओ० १ (९४)**]

(२) १९५०-५१ का प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे का वाणिज्यिक परिशिष्ट तथा उसकी लेखा

परीक्षा रिपोर्ट। [**पुस्तकालय में रखी है। देखिये संख्या ४ ओ० १ (९६)**]

(३) प्रतिरक्षा सेवाओं की १९५२ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट। [**पुस्तकालय में रखी है। देखिये संख्या ४ ओ० १ (९५)**]

भारत के लोकप्रशासन पर किए गए आपरीक्षण की रिपोर्ट

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० दशमुख) : श्री पाल एच० एपिलबी द्वारा भारत के लोकप्रशासन पर किए गए आपरीक्षण की रिपोर्ट। [**पुस्तकालय में रखी है। देखिये संख्या ४, ए० ओ० (१३४)**]

लोक लेखा समिति में राज्य-परिषद् के सदस्यों के भाग लेने से सम्बन्धित प्रस्ताव

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन राज्य-परिषद् से सिफारिश करता है कि वह वर्ष १९५३-५४ के सम्बन्ध में इस सदन की लोक-लेखा समिति में भाग लेने के लिए परिषद् के सात सदस्यों को नाम-

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

निर्देशित करने पर राज़ी हो और इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्यों के नाम इस सदन के पास भेजे।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): इस प्रस्ताव से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। इस सदन को धन विधेयक तथा कुछ अन्य मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त है और इन विषयों में दूसरे सदन के सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इससे दोनों सदनों में परस्पर झगड़े होने की सम्भावना है जिससे हम बचना चाहते हैं। नियम समिति ने बहुत कुछ विचार करने के बाद यह एकमत हो कर तय किया था कि इस चीज़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। देश के वित्त सम्बन्धी मामले उन लोगों द्वारा निश्चित नहीं किये जान चाहियें जो जनता के प्रति उत्तरदायी न हों। हमारे संविधान का मूल सिद्धान्त यह है कि बिना प्रतिनिधित्व के कर न लगाया जाये। हम निर्वाचनों के प्रति उत्तरदायी हैं और देश के खर्चे की व्यवस्था कार्य हमारी ज़िम्मेदारी है। यदि माननीय प्रधान मंत्री इस पर आग्रह कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि इस बिषय पर एक विशेष चर्चा की जाय जिसमें सदस्यगण पूरी तरह से तैयार हो कर आयें और मामले पर अच्छी तरह बहस करें। जब लोक लेखा समिति तथा नियम समिति के सदस्य और अन्य पक्षों के प्रतिनिधि इस बिषय में एकमत हैं तो फिर इस पर पूरी सावधानी के साथ चर्चा की जानी चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व): जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम प्रधान मंत्री के प्रस्ताव से सहमत हैं। परन्तु चूंकि सदन के कुछ सदस्य चाहते हैं कि अन्तिम निश्चय करने से पहले इस पर चर्चा की जाये, इसलिये मेरा सुझाव है कि कल एक घंटा इस मामले पर बहस करने के लिये नियत कर दिया जाये।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली): मैं भी प्रस्ताव के विरोध में तो नहीं हूं परन्तु यह अवश्य कहना चाहती हूं कि यह चीज़ सामान्य संसदीय प्रथा के अनुसार नहीं। इन मामलों में इस सदन को पूरा अधिकार है; अतः इसके लिए सारे दलों की राय लेना ज़रूरी है। विरोधी दल के सदस्यों को भी अपने विचारों को प्रगट करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि उन सदस्यों की स्थिति क्या होगी, और उनके क्या अधिकार होंगे। इन सब पर विचार करने के लिये हमें अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री जवाहरलाल नेहरू: यदि सदन किसी विशेष मामले में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहता ह, तो हम इसमें कोई रुकावट डालना नहीं चाहते। सदन जानता है कि हमारे पास समय की बहुत कमी है; हां यदि वह दोपहर बाद बैठना चाहें, तो हम इसके लिये तैयार हैं। परन्तु हमें इस प्रस्ताव के मामले में शीघ्रता करनी है वरना इसका कुछ महत्व न रहेगा।

माननीय सदस्य श्री चटर्जी हमेशा की तरह आज अपने विचारों में स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने धन विधेयक के बारे में कहा और कहा कि बिना प्रतिनिधित्व के कर लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि कौन किस पर कर लगा रहा है; लोक लेखा समिति कर लगाती है या वह धन विधेयकों का विचार करती है। उनकी यह बातें प्रसंगानुकूल नहीं थीं।

माननीय सदस्य ने भी कहा कि यह चीज़ बिना किसी पूर्व दृष्टान्त के हो रही है। मेरा निवेदन है कि इस सदन का और हमारे इस संविधान का भी तो कोई पूर्व दृष्टान्त नहीं है। दोनों सदन एक वर्ष पहले चुनावों के बाद बनाये गये थे और तब से काम कर रहे हैं। लगभग आठ महीने हुए, इस विषय पर विचार किया गया था और कानूनी राय ली गई थी और जिस नतीजे पर सरकार पहुंची थी, वह इस प्रस्ताव में दिया गया है। हम यह नहीं चाहते थे कि बिना अध्यक्ष महोदय की सहमति के कोई कदम उठाया जाये। इसलिये सब से पहले उनसे बातचीत की गई। अध्यक्ष महोदय हमारी बात पर सहमत हो गये और वास्तव में उन्होंने ही हमें यह सुझाव दिया कि इस मामले में आगे कैसे बढ़ा जाये। हमने न केवल मंत्रालय से ही वरन् बड़े बड़े वकीलों तक से सलाह ली।

परन्तु सदन को एक और बात पर विचार करना है। इस लोक लेखा समिति का इस सदन के वित्तीय अधिकारों से कोई संबंध नहीं। वह तो प्राक्कलन समिति है जिसका शायद इन मामलों से संबंध है। लोक लेखा समिति जांच करने वाली समिति है। यह हिसाब किताब की जांच करती है और ग़लतियों को सामने लाती है। यदि दूसरा सदन चाहे तो वह भी इसी तरह की एक लोक लेखा समिति बना सकता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी यदि एक ही तरह के काम के लिये दोनों सदन अलग अलग समितियां बनायें और सरकार के पदाधिकारियों को व्याख्या देने के लिये अलग अलग बुलायें। हम नहीं चाहते कि दोनों सदनों में एक दूसरे के विरुद्ध कोई भावना हो।

जैसा मैं कह चुका हूं यह समिति केवल जांच कर सकती है। इसमें दूसरे सदन द्वारा इस सदन के विशेष अधिकारों को छीनने का कोई प्रश्न नहीं है। समिति का सभापति अध्यक्ष महोदय द्वारा चुना जायेगा माननीय श्री चटर्जी ने कहा कि शायद इस सदन के कुछ सदस्य उपस्थित न हों और कुछ अन्य सदस्य उपस्थित हों। यदि रखिये इस समिति में इस सदन के १५ और दूसरे के ७ सदस्य होंगे। यदि ऐसी बात कभी हो भी तो ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि बात को नोट कर लिया जायेगा। समिति की अन्तिम रिपोर्ट लम्बी कार्यवाही के बाद निकलती है और वह सदन को पेश कर दी जाती है। इसलिये यदि सदस्यगण न हों तो भी कोई खास बात नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि यह एक बहुत मामूली सा प्रस्ताव है और जो जो महत्वपूर्ण बातें यहां उठाई गईं वे वास्तव में इस मामले में नहीं उठतीं। यदि सदन इस पर कुछ बहस चाहता है, तो इसके लिये हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: अब केवल एक बात रह जाती है; वह यह कि क्या प्रस्ताव पर चर्चा अभी करनी शुरू कर दी जाये या फिर कल हो। यदि सदन के नेता भी सहमत हों तो यह चर्चा कल तक के लिये स्थगित कर दी जा सकती है। हम कल चार बजे दोपहर बाद इस पर चर्चा करेंगे।

विन्ध्य प्रदेश विधान सभा
(अनर्हता निवारण)
विधेयक—जारी

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़): कल जब सदन की बैठक समाप्त हुई तो मैं इस प्रश्न पर बोल रहा था कि क्या हमारे लिये इस तरह का क़ानून बनाना शोभनीय होगा। जब कल माननीय श्री शाह बोल रहे थे तो मैं ने उन से पूछा था कि जो दृष्टान्त वे हमें दे रहे हैं क्या उन में कोई ऐसा मामला भी था जब कि

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

अन्तिम निश्चय हो चुका हो और उसके बाद ब्रिटिश लोक सभा ने उस अन्तिम निश्चय को एक क़ानून बना कर रद्द कर दिया हो। श्री शाह का उतर यह था कि मैं अन्तिम निश्चय को समझ नहीं सका हूं। उन्होंने कहा कि वह इस बात को ठीक तरह से समझायेंगे। मैं ने उनका भाषण पूरी तरह से सुना परन्तु अभी तक उन की व्याख्या मुझे स्पष्ट नहीं हो सकी है।

खैर, बात यह है कि हमारे यहां एक न्यायाधिकरण है और यह निर्वाचन आयोग स्वयं ही वह न्यायाधिकरण है। इस विशेष मामले में निर्वाचन आयोग ही न्यायाधिकरण था और हमारे राष्ट्रपति को इस निर्वाचन आयोग द्वारा प्रगट की गई राय के अनुसार ही निर्णय देना था।

एक बार न्यायाधिकरण के निर्णय देने के बाद, प्रश्न यह उठता है कि ज्योंहि विधान सभा का एक सदस्य अनर्ह हो जाये तो क्या उसी समय से वह सदस्यता से अलग हो जाता है। नहीं; उसे पता होना चाहिये। क्षतिनिवारण वहां से आरंभ होता है जब उसे पता चलता है कि उसे अनर्ह कर दिया गया है। उसे उसके अनर्ह किये जाने का पता होना चाहिये। ऐसा उपबंध संविधान के अनुच्छेद १०४ में है और भाग 'ग' राज्य अधिनियम की धारा १८ में भी है। जब इस तरह का उपबंध है तो इस विधेयक का नाम विन्ध्य प्रदेश विधान सभा (अनर्हता निवारण) विधेयक के स्थान पर विन्ध्य प्रदेश विधान सभा (सदस्यों की क्षति-पूर्ति) विधेयक होना चाहिय। क्योंकि यदि सदस्य अनर्ह हो जाने पर भी सदन में आना और बैठकों में शामिल होना जारी रखे चले आते हैं तो उनको दंडित किया जायेगा। अनुच्छेद १०४ के अनुसार यदि कोई सदस्य, यह जानते हुए कि वह अनर्ह हो गया है, सदन की बैठकों में शामिल होता रहता है तो वह हरेक दिन के लिये जब कि वह इस प्रकार बैठता है, पांच सौ रुपये के दंड का भागी होगा। इस मामले में यदि ऐसा कोई सदस्य, जो अनर्ह हो गया हो, विधान सभा में बैठता रहा हो तो हम उस की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। परन्तु क्या उन लोगों की क्षतिपूर्ति करना ठीक होगा जिन्हें पंडित ठाकुर दास भार्गव निर्दोष या अज्ञ बता रहे थे? क्या आप उस व्यक्ति को अज्ञ कह सकते हैं जो जानबूझ कर क़ानून की उपेक्षा करना चाहता हो? मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि वे लोग वहाँ रुपया बनाने के इरादे से नहीं गये थे, अज्ञ व्यक्तियों की तरह गये थे। मंत्रणा परिषद् संविधान के अन्तर्गत नहीं बनाई गई हैं, उन्हें विन्ध्य प्रदेश की सरकार के एक आदेश से बनाया गया है। क्या सारे भारत में ज़िला मंत्रणा परिषद् हैं? केवल विन्ध्य प्रदेश में इन्हें स्थापित किया गया है। मैं पूछता हूं कि क्या इन सदस्यों की जिनका वहां बहुमत था, यह इच्छा नहीं थी कि वक्त का जितना फ़ायदा उठाया जा सकता हो बह उठा लिया जाये? क्या उनकी यह इच्छा नहीं थी कि जितना पैसा बन सके बना लिया जाये? कुछ लोग कहते हैं कि पांच रुपये जैसी छोटी रक़म का उन्हें लालच नहीं हो सकता था। यह पांच रुपये का सवाल नहीं था। हमें उन लोगों की आय के बारे में कोई ज्ञान नहीं जो विधान सभा के सदस्य हो गये थे। हम नहीं जानते कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी या बुरी। विधान सभा के सदस्य होने के लिये लाभ का पद इसलिये अनुचित समझा जाता है कि इससे लोग अपने हितों का पोषण न करने लगें और प्रजातंत्रात्मक प्रणाली का सुचारु रूप से संचालन हो।

परन्तु यहां हम इसका उल्टा करने जा रहे हैं। हम कह रह हैं: अच्छी बात है उन्हें पैसा बनाने दीजिये। सरकार को उन्हें पैसा देने दीजिये। हम यह कहने जा रहे हैं कि यह लाभ का पद नहीं है। एक मंत्री में और ज़िला मंत्रणा परिषद् के अधिकारी द्वारा किये गये काम में बड़ा अन्तर है। उसके काम क्या हैं? क्या संविधान में कहीं भी ज़िला मंत्रणा परिषदों की चर्चा है? यह परिषदें कहीं भी नहीं हैं। विन्ध्य प्रदेश में इन्हें एक आदेश द्वारा स्थापित किया गया है। हम नहीं चाहते कि लोगों को पृष्ट द्वारा से आने दिया जाये। अनुच्छेद ३२७ में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक निर्वाचित निकाय में जाना चाहता हो तो उसे ऐसा इस कार्य के लिये बनाये गये कानून का अनुसरण करते हुए करना होगा अन्य किसी तरीके से नहीं। उसमें यह नहीं है कि ऐसे व्यक्ति से, जिसने लाभ का पद स्वीकार कर लिया हो, यह कह दिया जाये कि हालांकि तुमने लाभ का पद स्वीकार कर लिया है और तुम्हें सदस्यता से अलग कर दिया गया है, परन्तु हम एक कानून बना रहे हैं जिससे तुम सदस्य बन जाओगे।

इसके पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि हम न्याय करने जा रहे हैं परन्तु किसके साथ? यह मैं नहीं जानता। निर्वाचन न्यायाधिकरण ने कई निर्वाचनों को अवैध घोषित किया और कई मामलों में तो रिटर्निंग आफीसर की गलती पर निर्वाचन अवैध कर दिया गया। परन्तु न्यायाधिकरण के फ़ैसले को आखिरी फैसला माना गया। संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्वाचन न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम होता है। इस मामले में न्यायाधिकरण की उपेक्षा करना गलत बात है। यदि यह सदस्य हट रहे हैं तो हट जाने दीजिये। उचित रुप से बनाये गये न्यायाधिकरण के निर्णय की अवहेलना करना हमें शोभा नहीं देता। यदि ये स्थान रिक्त होते तो दूसरी बात थी। आपको इस विषय में सचेत रहना चाहिये था। आप के पास समय था परन्तु आप सोते रहे। निर्वाचन न्यायाधिकरण के फैसले के बाद भी आपके पास काफी समय था। यह मामला अप्रैल १९५२ के महीने में आरम्भ हुआ था। जनवरी १९५३ में एक पत्र भेजा गया और मार्च १९५३ में फैसला किया गया। इतने समय में आप ने कुछ नहीं किया। अब हम यह नहीं कह सकते हमें अपने न्यायाधिकरणों में या अपने राष्ट्रपति में विश्वास नहीं है। हमारे देश के लिए और हमारी संसद के लिए इस प्रकार का क़दम उठाना अनुचित होगा। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि वे केवल न्याय चाहते हैं। हमें जानना चाहिये कि प्रत्येक मामले के दो पहलू होते है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अन्य तर्कों से बता सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार कार्य किया।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: दलबन्दी के भाव को छोड़ निष्पक्ष भाव से हमें विचार करना चाहिए कि हमारा यह कार्य न्याय्य है अथवा नहीं। क्या हम उस बात को मिटा रहे हैं जो उचित प्रकार से गठित न्यायाधिकरण ने तय की है? संसद, न्यायालय नहीं है, अतएव वह न्यायाधिकरण के विनिश्चय को नहीं सुधार सकती। मैं पंडित बाल कृष्ण शर्मा से सहमत हूं। विन्ध्य प्रदेश विधान सभा के अपदस्थ सदस्यों को फिर से पदस्थ नहीं करना चाहिये।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली): राजनीति संविधान तथा कानून की दृष्टि से इस विधेयक का बड़ा महत्व है। हमें दल बन्दी को ध्यान में रखकर इस

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

विधेयक पर विवाद नहीं करना चाहिये। उस पर निष्पक्ष भाव से विचार करना चाहिये ।

इस देश में लोकतंत्र नया है । हमें न्याय्य बातें करनी चाहियें जिससे कि इस देश में लोकतन्त्र पुष्ट हो । यह लोक सभा देश की सर्वोच्च विधान सभा है अतएव हमें ऐसे प्रश्नों पर निष्पक्षता से विचार करना चाहिये । भविष्य में हमारे कार्यों की आलोचना न हो ।

मैं इस प्रश्न को नहीं उठाना चाहती कि संसद को ऐसा विधान बनाने का अधिकार है अथवा नहीं । महान्यायवादी ने इसके विषय में जो कुछ कहा है वह मुझे मान्य है ।

विन्ध्य प्रदेश में १२ सदस्यों का भाग ग राज्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनर्हीकरण हो गया है । भूत-लक्षी प्रभाव वाला अधिनियम बना कर हम उन्हें पदस्थ करने जा रहे हैं । माना कि उन सदस्यों ने बिना जाने यह गलती की परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि विन्ध्य प्रदेश सरकार ने उन सदस्यों को अनर्हित करने के लिए मंत्रणा परिषदों का सदस्य नहीं बनाया था । इसमें दुर्भावना का कोई प्रश्न नहीं है। श्री शाह ने ठीक कहा है कि सरकार की कार्यवाही के कारण जो लोग अपदस्थ हो गये हैं उन्हें फिर से पदस्थ कर देना चाहिये । परंतु इन १२ के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी तो हैं जो अपदस्थ कर दिये गये हैं यद्यपि उनकी कोई गलती नहीं थी, कुछ लोगों के नाम-निर्देशन पत्र गलती से अस्वीकार कर दिये गये थे । इस कारण चुने गये सदस्यों को अपदस्थ होना पड़ा । दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र में यदि एक सदस्य का नाम निर्देशन पत्र गलती से अस्वीकृत हो जाता है तो दूसरे चुने गए सदस्य को अपदस्थ होना पड़ता है । इस तरह कई निरपराध व्यक्ति दंडित हो जाते हैं । इन सब को भी पदस्थ कर देना चाहिये । केवल इन १२ सदस्यों के साथ इतनी सहृदयता बतलाने की क्या आवश्यकता है ? सत्र के अंत में इस विषय को सदन के समक्ष क्यों प्रस्तुत किया गया जब कि कार्यक्रम मंत्रणा समिति ने उसे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया था । हमें सम्पदा शुल्क जैसे महत्व-पूर्ण विधेयक पर विचार करना है । इसका कारण राजनीतिक मालूम पड़ता है ।

विन्ध्य प्रदेश में ज़िला बोर्डों के चुनाव होने वाले थे । कांग्रस के हाथों में शासन था । उसने चाहा कि .....

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ –दक्षिण) : श्रीमान् औचित्य प्रश्न है । क्या ये बातें संगत हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है ।

पंडित के० सी० शर्मा : आप को रुकना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न उठाया गया है ।

पंडित के० सी० शर्मा : इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि माननीय सदस्या ने अभी जो कुछ कहा है वह ठीक है अथवा नहीं । जिला बोर्डों के कागजात यहां नहीं हैं । उनका यहां जिक्र करना असंगत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल यह है कि जिला बोर्ड का मेम्बर होना लाभ-

प्रद है अथवा नहीं। वैसी बात का उदाहरण देना संगत है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : जहां तक मुझे ज्ञात है वह ज़िला बोर्डों के चुनाव करने के लिये उत्सुक नहीं थे। इसलिये ज़िला बोर्ड परामर्शदात्री परिषदें बनाई गईं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वहां किसी भी संविधान के अन्तर्गत नियुक्त ज़िला बोर्ड हैं?

श्रीमती सुचेता कृपलानी : प्रत्येक प्रान्त में ज़िला बोर्ड हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन सभी प्रान्तों में जहां सन् १९४७ से पहले सीधा ब्रिटिश शासन स्थापित था स्थानीय पर्षद तथा नगर पालिकायें थीं। माननीय सदस्या का यह कहना है कि राज्य में ज़िला बोर्ड थे और उन को मान्यता देने या उन के चुनाव कराने के स्थान पर यह तरीका लागू किया गया है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : यही तो मैं कहना चाहती हूं। पहले उन्होंने ज़िला बोर्ड परामर्शदात्री परिषदें बनाने का निर्णय किया। यह २६ अप्रैल, १९५२ को बनाई गईं। उस के पश्चात् एक सदस्य श्री एन० पी० सिंह ने राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा जिस में उत्पन्न हुई अयोग्यताओं का निर्देश था। पांच नवम्बर को उन्होंने इसी प्रश्न को विन्ध्य प्रदेश धारा सभा के समक्ष उठाया परन्तु अक्तूबर से नवम्बर तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत दौड़ भाग की पर हुआ कुछ नहीं। १६ दिसम्बर को इस सदन के विरोधी दल के नेता ने राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में एक पत्र भेजा। राष्ट्रपति ने १७ जनवरी को मामला चुनाव आयोग को सौंप दिया, चुनाव आयोग ने मामले की जांच करके २ मार्च को निर्णय दिया और ३१ मार्च को राष्ट्रपति ने उक्त स्थानों के रिक्त हो जाने की घोषणा की। इस से आपको ज्ञात होगा कि सरकार का व्यवहार कितना बाधक रहा है। लगातार देर करने की चेष्टा की जाती रही है। पर अन्ततः स्थान रिक्त घोषित किये गये। चुनाव आयोग को तुरन्त ही उपनिर्वाचन कराने चाहियें थे, परन्तु उस के बदले यह विधेयक आ गया। सारा मामला बहुत ही संदिग्ध है।

बाबू रामनरायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : ज़रूर।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : सरकार इस में रुचि ले रही है यह और बातों से भी सिद्ध होता है। १६ दिसम्बर को मामले की सुनवाई चुनाव आयोग के समक्ष होते समय सरकार ने उन की अयोग्यताओं के निवारण हेतु अपने मूल आदेश को बदल दिया। परन्तु चुनाव आयोग ने इसे नहीं माना।

अब चुनाव आयोग के सामने कौन प्रतिवादी बन कर आता है? सरकार का प्रतिनिधि! सरकार ने इस मामले में इतनी रुचि क्यों ली? जब कभी भी इस प्रकार की प्रविधिक त्रुटियां उठी हैं सरकार ने उन को सुधारने या ठीक करने के कोई प्रयत्न नहीं किये हैं। बैंक पंचाट के मामले को ही लीजिये। सेन पंचाट कर्मचारियों के पक्ष में था। उसे सर्वोच्च न्यायालय ने एक छोटी सी प्रविधिक प्रकार की त्रुटि पर रद्द कर दिया। सरकार एक अध्यादेश के द्वारा उसे फिर प्राख्यापित कर सकती थी, परन्तु सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं की। झगड़ा हुआ दूसरा पंचाट दिया गया जो कर्मचारियों के विरुद्ध है।

सरकार की दृष्टि में सभी बराबर होने चाहियें। मेरी समझ में नहीं आता है कि

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

सरकार जब विन्ध्य प्रदेश के १२ सदस्यों की अयोग्यताओं का निवारण कर सकती है तो इस सम्बन्ध में क्यों कुछ नहीं करती है। किन्हीं प्रकार के पदों को अपवाद कर देने के लिए विधि बनाना ठीक है, मैं स्वयं अयोग्यता निवारण अधिनियम को बहुत सीमित समझती हूं। इस संविधान में भी संशोधन कर सकते हैं तो केवल मात्र १२ सदस्यों के लिए अपवाद किये जाने की बात गले नहीं उतरती है। यह सदन का दुरुपयोग है और यह एक बहुत ही बुरा पूर्व दृष्टान्त है। अगर किसी अन्य प्रान्त में ऐसी ही बात होती है तो क्या सरकार कोई दूसरा विधेयक लायेगी ? संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुसार यह तो विभेद करना है। इस तरह तो हमारा संविधान एक हास्यास्पद वस्तु बन जायेगी।

अब राष्ट्रपति द्वारा रिक्त घोषित किये गये स्थानों के भरने के प्रश्न को लीजिये। हमारा एक लिखित संविधान है, चुनाव सम्बन्धी मामलों का निर्णय करने के लिये हमारे यहां चुनाव आयोग है, इस मामले में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किया है और एक निश्चित निर्णय किया है। हम इस निर्णय को रद्द करने वाला विधान पारित करना चाह रहे हैं। यह ठीक नहीं है। चुनाव आयोग की स्थिति उच्चतम न्यायालय जैसी है मान लीजिये कि उच्चतम न्यायालय वर्तमान क़ानून के अनुसार कोई निश्चत निर्णय देता है, और हम अनुभव करते हैं कि निर्णय ग़लत है तो यह निश्चित है कि क़ानून में कोई त्रुटि है अथवा वह ग़लत है। हम क़ानून में संशोधन करके उस निर्णय को रद्द कर सकते हैं। मेरे विचार से हम बहुत अधिक अधिकार ग्रहण कर रहे हैं।

श्री सी० सी० शाह ने कहा था कि राष्ट्रपति को तो चुनाव आयोग का परामर्श मानना ही था अतः उन का आदेश एक दम औपचारिक ही था। अतः इस विधेयक से उन की कोई अवगणना नहीं होती है। राष्ट्रपति में विवेकात्मक अधिकार निहित हैं, उसी के आधार पर उन्होंने कार्य किया है। महान्यायावादी ने कहा था कि वह तो हस्ताक्षर करने मात्र के लिए हैं। हमारे राष्ट्रपति कांग्रेस के ही नहीं देश के भी एक सम्मानित नेता हैं। वह एक विद्वान वकील हैं और जानते हैं कि उन के अधिकार क्या हैं। वह अपनी विवेक बुद्धि स काम लेकर ही प्रत्येक कार्य करते हैं। उनसे निर्णय देने को कहा गया था और उन्होंने निर्णय दिया। इस दूसरे अधिनियम को पारित करके हम उनके निर्णय को रद्द कर देना चाहते हैं।

हम ने राष्ट्रपति को यह विवेकात्मक अधिकार संविधान को सुचारु रूप से चलाने के लिए दिये थे। जो अधिकार हमने उनको दिये थे उसी के आधार पर उन्होंने निर्णय दिया है, और क्योंकि वह निर्णय हमारे अनुकूल नहीं है, हम में से कुछ के अनुकूल नहीं है इसलिये हम उसे रद्द करने के लिए यह अधिनियम पारित करना चाहते हैं। इस से राष्ट्रपति की अवगणना होती है। पारित हो जाने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जायेगा और उनको विपरीत निर्णय देना होगा। उनकी स्थिति कितनी हास्यास्पद हो जायेगी, अतः मेरा निवेदन है कि विधेयक को वापस ले लिया जाये।

दूसरा यह विधेयक विभेद करता है। साधारणतया हम उपचुनाव कराते हैं परन्तु इस मामले में हम उन्हीं सदस्यों के चुनाव को वैध कर रहे हैं, यह तो हमारे

संविधान के एकदम विरुद्ध है। यह कार्यवाही अनुच्छेद १४ और अनुच्छेद १९ (१) (क) के विरोध में है।

मैं इस विधेयक का इसलिये भी विरोध करती हूं क्योंकि यह एक बहुत ही सीमित प्रकार का है। इसमें बारह व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। हमें यह देखना है कि न्याय क्या कहता है। यदि इन अयोग्य घोषित किये गये सदस्यों के स्थानों के लिए उपचुनाव होंगे तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। अतः राष्ट्रपति को खेदजनक स्थिति में डालने का कोई औचित्य नहीं है। इस से संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होंगे और अनेकों कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी और सरकार की बदनामी होगी। मेरे विचार से इस विधान का प्रभाव शुभ नहीं होगा। लोग यही समझेंगे कि सरकार ने चालाकी और धोखेधड़ी से अपने आदमियों को अयोग्य घोषित हो जाने के बाद भी सदस्य बनाये रखा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि इसे वापस ले लिया जाये और जन प्रतिनिधान अधिनियम या अयोग्यता निवारण अधिनियम या संविधान को संशोधित करने वाला कोई व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाये।

विशेषाधिकार का प्रश्न

एक सदस्य की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे जम्मू तथा काश्मीर राज्य के मुख्य सचिव से एक तार मिला है। उस में लिखा है कि प्रजा परिषद द्वारा चलाये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में घुसने की घोषणा की थी। प्रजा परिषद् को भारतीय जन संघ का समर्थन प्राप्त है। जन संघ के सभापति होने के कारण डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने आन्दोलन को बढ़ाने में सहयोग दिया है। हमें भय है कि उन के जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आने से सार्वजनिक शान्ति के भंग हो जाने की सम्भावना है। अतः हमने जम्मू तथा काश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम की धारा ४ (१) के अन्तर्गत डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी को राज्य की सीमा में न घुसने का आदेश दिया परन्तु उन्होंने उसे नहीं माना और राज्य की सीमा में प्रवेश किया, अतः जम्मू तथा काश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम की धारा ३ के अनुसार उन को राजबन्दी बना लिया गया है।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): इस विषय पर कल प्रश्नों के घन्टे के बाद चर्चा की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अध्यक्ष महोदय से परामर्श करूंगा यदि उनकी अनुमति हुई तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकेगा अन्यथा मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

विन्ध्य प्रदेश विधान सभा (अनर्हता निवारण) विधेयक

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मैं इस विधेयक का उग्र विरोध करता हूं, राजनैतिक जीवन को कलुषित न बनाने के लिए हमें इसका विरोध करना ही चाहिय। विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ होने से पूर्व प्रधान मंत्री ने कुछ विचार प्रकट किये थ। उन्होंने इसे अत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण विधेयक बताया था। मेरा विचार यह है कि उन्होंने ऐसा इसलिय कहा था क्योंकि वह स्वयं इस के सम्बन्ध में निश्चित नहीं थे। उन्होंने कहा था कि इस सम्बन्ध में कानून बिल्कुल स्पष्ट था परन्तु जितना कुछ हम कानून को समझते हैं उस के अनुसार यह विधेयक न केवल कानून के विरुद्धी ही

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

ह अपितु न्याय भावना के भी विरोध में है। विन्ध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो दीनावस्था है उस को देख यह महत्वपूर्ण हो सकता है परन्तु जहां तक राजनैतिक जीवन को हम समझ सके हैं यह विधेयक उसके एकदम विरोध में है।

गृह मंत्री ने अपने प्रारम्भिक भाषण में इसे एक साधारण बात बताया है, जिसे इस विधान द्वारा ठीक करना अपेक्षित है। गृह मंत्री के दृष्टिकोण से यह साधारण बात हो सकती है परन्तु इसमें कुछ ऐसी सैद्धान्तिक बातें अन्तर्ग्रस्त हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महान्यायवादी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में यह कहा था कि यह न तो असंवैधानिक है और न अवैध ही है। उन के अनुसार यह पूर्णरूप से विधिवत है। उन्होंने यह भी कहा था कि जहां तक औचित्य का प्रश्न था यह विधेयक ठीक था। यदि वह इसके औचित्य के सम्बन्ध में कुछ न कहते तो अधिक अच्छा होता। उन को इसकी वैधता संवैधानिकता तथा प्रविधिक मान्यता के सम्बन्ध में अपना मत देना था, परन्तु उनके तर्क कुछ गले उतरे नहीं। उन का जो सब से महत्वपूर्ण तर्क था वह यह था कि चुनाव आयोग ने जो दृष्टिकोण अपनाया और राष्ट्रपति न जो आदेश निकाला वह संविधान के अन्तर्गत नहीं था अपितु भाग ग में के राज्यों अधिनियम के अनुसार था, जो कि स्वयं एक सामान्य विधान है और जिसे बदल देने का संसद् को पूर्ण अधिकार प्राप्त ह। उनका तर्क यह था कि चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति ने जो आदेश निकाला था उसे सरकार ने ठीक मान लिया था और चुनाव आयोग के द्वारा दिये गये परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के वैध निर्णय के प्रभाव को सीमित करने के लिए ही यह विधान प्रस्तुत किया गया है। इसमें चुनाव आयोग या राष्ट्रपति की अवगणना करने या उनके आदेश को अमान्य करने की कोई भावना नहीं थी।

यह तर्क कि इस में संविधान का प्रश्न नहीं उठता है, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं समझता हूं और मेरा निवेदन है इस में संविधान का प्रश्न निश्चय रूप से उठता है। मंत्रि मंडल के परामर्श से राष्ट्रपति ने इस सम्बन्ध में पूरी सावधानी रखी थी कि विधि की भावना तथा रूप अक्षुण्ण रहे। स्वयं राष्ट्रपति का आदेश ही संविधान के उपबन्धों के अनुसार था। उन के आदेश में यह दिया हुआ है कि उन्होंने इस प्रश्न पर निर्णय दिया है कि क्या विन्ध्य प्रदेश की विधान सभा के कतिपय सदस्य भाग ग में के राज्य अधिनियम की धारा १७ तथा संविधान के अनुच्छेद १०२ के खंड (१) के उपखंड (क) के अनुसार अनर्ह हो गये थे या नहीं। उनका निर्णय था कि उक्त धाराओं के अनुसार वह अनर्ह हो गये थे। निर्णय देने में चुनाव आयोग तथा राष्ट्रपति के संविधान के उपबन्धों का पूर्णरूप से पालन किया है।

इस कारण महान्यायवादी का यह तर्क कि यह सब कुछ संविधान के अन्तर्गत नहीं किया गया था अपितु भाग ख में के राज्य आधनियम के अन्तर्गत किया गया था कानून को वितण्डवाद में बदल देता है और संविधान की भावना के प्रतिकूल है। हमें यह संविधान पूर्णरूप से स्वीकार नहीं है यह तथ्य है, हम में इतनी त्रुटियां हैं कि जनता की प्रजातंत्रीय भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए हम में अत्यधिक परिवर्तन करने होंगे। परन्तु इतना होने पर भी सत्तारूढ़ सरकार ने संविधान के आशय पर कुठाराघात किया और इस आशंका से

कि कहीं इससे हमारे देश की राजनैतिक भावनायें कुंठित न हो जायें हमें इस विधेयक पर सावधानी से विचार करना है।

चुनाव आयोग ने अपना निर्णय बहुत ही तर्क युक्त रीति से दिया था। उस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति ने यह आदेश क्यों निकाला था। चुनाव आयोग ने यह तर्क दिया है :

> "भाग ग में के राज्य अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४९ वां) में संविधान के अनुच्छद १०१ तथा १९१ के अनुरूप कुछ उपबन्ध हैं। परन्तु उक्त अधिनियम में यह नहीं दिया गया है कि अनर्हता का प्रश्न किस प्रकार उठाया जायेगा तथा निर्णीत होगा। परन्तु संविधान के अनुच्छेद १०२ तथा १९२ में सदस्यों की अनर्हता सम्बन्धी मामलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली दी हुई है। यह कठिनाई कदाचित उस समय ज्ञात हुई जब कि राष्ट्रपति को प्रतिनिधान किया गया।"

राष्ट्रपति को प्रतिनिधान ३० अक्तूबर को किया गया था और उन्होंने इस मामले को १७ जनवरी, १९५३ के चुनाव आयोग को भजा। इस बीच उन्होंने मंत्रीमंडल विधि मंत्री सभी से परामर्श किया होगा। राष्ट्रपति ने भाग ग में के राज्य अधिनियम की इस त्रुटि को पकड़ लिया होगा और इसलिये संविधान के उपबन्धों को इन भाग ग में के राज्यों पर लागू किया गया। यह तो असंदिग्ध रूप से मान ही लिया जाना चाहिये कि किसी सदस्य द्वारा कोई लाभप्रद पद धारण करने के कारण उत्पन्न हुई अनर्हता के सम्बन्ध में संविधान में निश्चित प्रावधान हैं। अतः भाग ग में के राज्यों में विधान सभा बनते ही यह उपबन्ध उस पर लागू हो जाते हैं। यह तर्क मेरे गले नहीं उतरता कि संविधान के उपबन्ध भाग क तथा ख में के राज्यों पर तो लागू होते हैं परन्तु भाग ग में के राज्यों पर इस लिए लागू नहीं होते हैं कि उन राज्यों के सम्बन्ध में एक पृथक् विधान बनाया गया है। यह संविधान की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है। अतः राष्ट्रपति ने इस त्रुटि का लाभ प्रविधिक विशेषज्ञों द्वारा न उठाये जाने के हेतु अपने परामश दाताओं के परामर्श से यह प्रयत्न किया कि मामला पूर्णतया नियमित हो जाये और अनर्हता सम्बन्धी प्रतिनिधान पर संविधान के उपबन्धों के आधार पर ही कार्यवाही की जा सके। अतः राष्ट्रपति ने सामान्य परिस्थिति के अनुसार ही कार्य किया और संविधान का ऐसा निर्वचन किया जिसे मेरे विचार से सभी ठीक मानेंगे।

चुनाव आयोग ने इस मामले पर काफी परिश्रम किया था। उस ने कुछ टिप्पणियां भी की थीं जिन की ओर म सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

> "कार्यपालिका सरकार को विधान सभाइयों को किसी भी लाभप्रद पद इत्यादि देने के असीमित अधिकार प्राप्त हैं परन्तु इस से उक्त विधान सभाई के स्वतंत्रता में बाधा पड़ने की सम्भावना है और यह प्रजातंत्रीय सरकार या प्रजातंत्रीय विचार धारा की प्रगति में एक बड़ी बाधा है और इससे संविधान की अवगणना होने की संभावना है। यदि किसी समिति, परिषद्, पर्षद् का सदस्य बना कर यदि सरकार किसी विधान सभाई को पुरस्कृत करती है तो इसे 'पद

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

कहा जायेगा और यह संविधान के दण्डनीय अनुच्छेद में आ जायेगा।"

इस के बाद आयोग ने उन भत्तों आदि की चर्चा की है जो परामर्शदात्री परिषद् की सदस्यता के कारण अनर्ह हुए सदस्यों को मिली हैं। कुछ सदस्य तो स्वतः ही संविधान की लपेट में आ गये थे। मामले की सम्पूर्ण परिस्थिति पर भली प्रकार सोच विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय किया कि यह १२ सदस्य निश्चय ही अनर्ह हो गये हैं और भाग ग में के राज्य अधिनियम की धारा १७ उनके विरुद्ध लागू की जानी चाहिये और उनको अनर्ह घोषित करके उनके स्थानों को रिक्त घोषित कर देना चाहिए।

चुनाव आयोग का काम ही चुनाव के सम्बन्ध में उठी शंकाओं तथा कठिनाइयों को दूर करना है। सरकार स्वयं चुनाव आयोग को संविधान का स्तम्भ बताती है। यह चुनाव आयोग एक निर्णय करता है और उस की सूचना राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर एक आदेश जारी करता है। विन्ध्य प्रदेश धारा सभा में यह आदेश पढ़ कर सुनाया जाता है और १२ स्थान रिक्त हो जाते हैं। साधारणतया इन स्थानों के लिए उपचनाव होने चाहियें थे। पर ऐसा नहीं हुआ। संविधान के दृढ़ स्तम्भ की उपेक्षा कर दी गई और सरकार ने मनमानी की। ऐसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। कल श्री शाह ने कहा था कि इसमें अन्तिम समझे जाने की कोई बात नहीं थी, और देश की सर्वोच्च विधायिनी परिषद् होने के नाते संसद् इस मामले पर पुनरीक्षण कर सकती थी। यदि ऐसा हुआ तो काम कैसे चलेगा।

संविधान में संसद् की शक्तियों को कुछ सीमा में सीमित कर दिया गया है। हम चाहें तो संविधान को बदल सकते हैं परन्तु उसमें खिलवाड़ करने से हमारी स्थिति कितनी दयनीय हो जायगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी तो अन्तिम होते हैं, इस का अर्थ तो यह हुआ कि हम उस के निर्णय की यहां आलोचना कर सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो देश में न्याय व्यवस्था तो समाप्त ही हो जायेगी।

निस्संदेह संसद बहुत कुछ कर सकती है परन्तु अपने अधिकार क्षेत्र में ही तो कर सकती है, संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत ही तो कर सकती है, उस से बाहर नहीं परन्तु इस अवसर पर तो संसद ने निश्चय ही अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया है। इस के पीछे भी एक कहानी है। विन्ध्य प्रदेश धारा सभा में ६० सदस्य हैं, ४० कांग्रेस दल के हैं, १९ अन्य हैं और १ की मृत्यु हो गई है। अयोग्य घोषित किए गए १२ सदस्यों में से ११ कांग्रेस दल के हैं। इन के अयोग्य घोषित हो जाने पर स्थिति यह हो गई कि कांग्रेस के २९ सदस्य रहे और अन्य दलों के १८। विन्ध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत डांवाडोल है अतः संविधान की उपेक्षा तक करके उनको बिना उपचुनावों के ले आना ही इस का उद्देश्य है। यह प्रजातंत्रीय भावना के एकदम विरुद्ध है। अतः हम सभी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उस का विरोध करें। दलीय राजनीति की वेदी पर इन सिद्धान्तों की बलि न चढ़ जाए यह देखना हमारा कर्त्तव्य है। सरकार अपना दृष्टिकोण बदलने के बदले इसे जल्दी से जल्दी पारित करा लेना चाहती ह और इसीलिए इसे शत प्रतिशत वैध तथा महत्वपुर्ण बताती है।

प्रजातंत्रीय भावना के विरोधी इस विधान को हम कदापि सहन नहीं कर सकते हैं।

श्री जी० एच० देशपाडे (नासिक--मध्य): विरोधी दल वालों ने प्रजातंत्र और प्रजातंत्रीय भावनाओं पर इस सदन में उपदेश देने का प्रयत्न किया है। मध्य मार्ग अपना कर उन्होंने कठोर शब्दों का व्यवहार किया है। अन्तिम वक्ता महोदय तो यहां तक कह दिया कि इस विधेयक को दलीय राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ही प्रस्तुत किया गया है।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़-पश्चिम) : इस में क्या ग़लत बात है ?

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : यह बिल्कुल ग़लत बात है।

श्री जी० एच० देशपांडे : कुछ माननीय सदस्यों की कदाचित यह धारणा होगी कि यह एक ऐसा विधान है जो इस सदन के समक्ष प्रथम बार ही आया है। परन्तु तथ्य यह नहीं है इस प्रकार के विधान इस सदन में तथा राज्यों की विधान सभाओं में पारित किए जा चुके हैं और वह सदैव ही कांग्रेसजनों के हित में नहीं थे।

सन् १९३७ में डा० अम्बेडकर सदस्यता के लिए अनर्ह हो गये थे। वह गवर्नमेंट ला कालिज में प्रौफेसर थे और इस लिये अनर्ह थे। कांग्रेस दल ने एक विधान द्वारा ला कालिज की प्रोफेसरी को लाभप्रद पद की श्रेणी से निकाल दिया, सभी ने उस समय इस कार्यवाही को ठीक समझा था और इस की प्रशंसा की थी। यह कार्यवाही दलीय राजनीति के आधार पर नहीं की गयी थी क्योंकि डा० अम्बेडकर कभी भी कांग्रेस जन नहीं थे। विरोधी दल वाले सदैव दलीय दृष्टिकोण से ही सभी कुछ देखते हैं, परन्तु कांग्रेस दल ने इस भावना को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया है उस का लक्ष्य सदैव देश की उत्तमोत्तम सेवा करना रहा है।

बम्बई की ही दूसरी घटना है। वरिष्ठ सदन के सदस्य श्री महाजनी जो अब दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं, भी अनर्ह घोषित कर दिए गए थे परन्तु बम्बई की धारा सभा में एक विधान पारित करके उनकी सदस्यता भूतोपेक्षीय प्रभाव में जारी रखी गई थी।

इस मामले में क्या हुआ ? प्रजातंत्र की दुहाई दी गई, संविधान के हवाले दिए गये उन के द्वारा जो इन दोनों में रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि मतदान पेटी की पावनता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के विधानों की नितान्त आवश्यकता है।

माननीया सदस्या श्रीमती कृपलानी का तर्क था कि सीमित विधान पारित करने के स्थान पर एक व्यापक विधान प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। विरोधी दल के किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि इस प्रकार के पदों को निश्चयात्मक रूप में लाभप्रद पद घोषित किया जाये। क्या इस संसद के माननीय सदस्य दैनिक भत्ता नहीं लेते हैं ? तो यदि किसी सदस्य ने तांगे के किराए के मद्दे कुछ पैसे ले लिए तो उस पर आपत्ति क्यों ? क्या इतने स ही वह अनर्ह हो गये और उन के स्थान रिक्त

[श्री जी० एच० पांडे]

घोषित कर दिए जाने चाहयें ? किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा है कि यह पद लाभ के पद थे अतः यह परिणाम निकाला जा सकता है कि यह लाभप्रद पद नहीं हैं । तो फिर निर्वाचकों को उन के निर्वाचित प्रतिनिधियों से वंचित क्यों किया जाय ?

इसे जनता के दृष्टिकोण से दखिए उसने बड़ी सतर्कता से अपने प्रतिनिधियों को चुना है । केवल मात्र एक साधारण सी प्रविधिक त्रुटि के आधार पर ही क्या उन के स्थानों को रिक्त घोषित करके पुनः चुनाव कराना वांछनीय होगा ? हम चुनाव लड़ने से डरते नहीं हैं और इसी कारण ही हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रहे हैं । प्रजातंत्र भावना में विश्वास रखने के नाते हमारा यह कर्त्तव्य है कि मतदान पेटी की पावनता की रक्षा की जाये और इस प्रकार का कोई विधान पारित किया जाये । इसी प्रकार का एक विधान यहां परित किया गया था । इस सदन के कुछ सदस्य अनर्हता की लपेट में आगये थे परन्तु एक संकल्प के द्वारा उनकी सदस्यता को बनाये रखा गया । यदि यह सदन अपने सदस्यों के लिए इतनी सचेत है तो अन्य धारा सभाओं तथा विधान मंडलों के प्रति क्या उसे सचेत नहीं होना चाहिए ? इस में कोई अनियमितता या अन्याय नहीं है । यह विधान एकदम सत्य और ठीक है और इसीलिए मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं ।

पंडित के० सी० शर्मा : श्री बसु ने कहा ह कि संविधान के अनुच्छद २४० (१) के अन्तर्गत संसद को इस प्रकार का अधिनियम अर्थात भाग ग राज्य शासन अधिनियम पारित करने का अधिकार नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि यदि संसद किसी भी भाग ग राज्य में विधान मंडल स्थापित करने के लिए कानून बना सकती है तो इसे सदस्यों के चुनाव या अनर्हीकरण या उन के काम के तरीके के बारे में भी अवश्य कानून बनाना चाहिए, क्योंकि विधान मंडल भी किसी न किसी कानून के अधीन होने चाहिएं । और यह कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा । भाग ग राज्य शासन अधिनियम १९५१ साधारण रूप से और साधारण बहुमत से पारित किया गया है और इसे बिना दो-तिहाई बहुमत के संशोधित भी किया जा सकता है । इसे इतना महत्व प्राप्त नहीं जितना कि संविधान के अनुच्छेदों को है । संविधान के अनुसार, भाग ग राज्य शासन अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत जो कुछ भी किया जाय, उसे संशोधित किया जा सकता है । इसमें कोई संदेह नहीं । इस संशोधित किया जाए या न किया जाए, यह तो तथ्यों पर निर्भर करता है किन्तु संशोधन अवश्य किया जा सकता है । मेरा निवेदन यह है कि जिला मंत्रणा परिषदें विन्ध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्त की थीं । सदस्यों ने स्वयं जा कर यह मांग नहीं की थी कि उन्हें इन परिषदों का सदस्य बनाया जाए । स्वयं सरकार यह चाहती थी कि ये परिषदें विभिन्न जिलों में बनाई जाएं ताकि सरकार के लोकहित के कृत्य आसानी से पूरे किए जा सकें और सरकारी नीति अच्छी तरह कार्यान्वित की जा सके । प्रत्येक सदस्य को उस जिले का जिस का वह निवासी है और जहां से वह चुना गया है, सरकारी काम में सहायता दन के लिए उस जिले की मंत्रणा

परिषद् का सदस्य बनाया गया था । इस में सदस्यों का कोई दोष नहीं और इस में कोई चीज़ अनुचित नहीं है यदि सरकार इस ग़लती को ठीक करना चाहती है । इस पर तभी आपत्ति की जा सकती थी यदि ये परिषदें सदस्यों के कहने पर बनाई गई होतीं और उन्हों ने काम करने के लिए रुपया मांगा होता । अतः सरकार के लिए यह अनिवार्य था कि वह सदस्यों की इस कठिनाई को दूर करें ।

अब संविधान के अनुच्छेद १४ का प्रश्न उठता है, जिस की ओर श्रीमती सुचेता कृपलानी ने निर्देश किया है । प्रश्न यह है कि उन व्यक्तियों के साथ जो समान परिस्थितियों के अधीन हों, एक जैसा व्यवहार करना चाहिए । इन बारह व्यक्तियों को कुछ निर्योग्यताओं के अधीन रखा गया है । यदि २० और को भी इन्हीं परिस्थितियों में रखा जाये, तो भी वही अधिनियम लाग होगा । अतः श्रीमती कृपलानी का यह तर्क कि इस से अनुच्छेद १४ का उल्लंघन होगा निरर्थक है । मेरा निवेदन यह है कि जैसा सदन के नेता ने कहा है यह विधेयक शत-प्रति-शत वैध है और इस में कोई संवैधानिक अनियमितता नहीं है । मैं आशा करता हूं कि सब दलों के सदस्य इस का समर्थन करेंगे ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालन्धर): सभानेत्री महोदया, मुझे इस बात पर बहुत खुशी है कि इस हाउस में इस बात की बहुत चिन्ता की जा रही है कि हम जम्हूरियत की यानी प्रजातन्त्र की ऐसी परम्पराएं क़ायम कर कि जो आयन्दा के लिये बहुत मुनासिब हों और जो डिमाक्रेसी के अधिकारों की रक्षा कर सकें । लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि इस मामले पर विचार करते हुए कुछ सदस्यों न या तो बिल्कुल ही एक बारीक़ क़ानूनी पहलू ले लिया है और एक लीगैलिस्टिक व्यू लेने की कोशिश की है या कुछ दूसरे सदस्यों ने बिल्कुल ही एक आइडियलिस्टिक व्यू लिया है । मैं समझता हूं कि जैसे मेरे मित्र श्री बालकृष्ण शर्मा जी ने कहा था, इस मामले पर हमें साधारण बुद्धि से विचार करना चाहिये । क़ानून हमेशा एक साधारण व्यक्ति के अधिकारों पर साधारण बुद्धि के साथ विचार करता है । यदि हम बहुत ही ज्यादा क़ानूनी बारीकी में चले जाएं या बहुत ही आइडियलिस्टिक व्यू ले लें तो हम कार्यक्षमता और व्यवहार के पहलू को छोड़ देंगे । इस मामले में यदि हम साधारण बुद्धि से विचार करें तो मामला बिल्कुल सीधा सादा है और कोई लम्बा चौड़ा विचार करने की आवश्यकता नहीं है । यहां पर जितना ज्यादा इस में बहुत गहराई के साथ क़ानूनी बारीकियों में जाने की कोशिश की गयी है तो जिस तरह कहा जाता है कि क़ानून के बाल की खाल उतारना तो यहां पर इस तरह से बाल की खाल उतारने की कोशिश की जा रही है । कुछ सदस्यों की तरफ़ से जो यह बाल की खाल उतारने की कोशिश की गयी है मैं समझता हूं कि इस ने हमारे तमाम दृष्टिकोण को कनफ्यूज कर दिया है और हम इस पर ठीक तरीके से विचार नहीं कर सकते । हमारे विधान में दो बातों को बिल्कुल साफ़ रखा गया है । मेरे कुछ मित्रों ने सैक्शन १०२ और सैक्शन १०३ का हवाला दिया । सैक्शन १०२ में पार्लियामेंट के अधिकार दिय गये हैं और सैक्शन १०३ में प्रैसीडैंट और इलैक्शन कमीशन के फंक्शन्स बताए गये हैं । इन दोनों को बिल्कुल मिला जुला कर कुछ सदस्यों ने इस को बिल्कुल कनफ्यूज कर दिया है ।

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

सैक्शन १०२ में पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह फैसला करे कि डिसक्वालिफिकेशन क्या है। यह फैसला करना कि डिसक्वालिफिकेशन क्या है, इस बात का अधिकार न प्रैसीडैंट को है और न इलैक्शन कमीशन को ही, इस बात का अधिकार है। यह अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है जो सैक्शन १०२ में दिया गया है। सैक्शन १०३ में इस बात की चर्चा की गयी है कि अगर यह सवाल उठे कि किसी मेम्बर ने डिसक्वालिफिकेशन इनकर की है या नहीं तो इस "फैक्ट" का फैसला करना कि आया किसी मेम्बर ने डिसक्वालिफिकेशन इनकर की है या नहीं, इस का अधिकार प्रैसीडैंट को है। और इस मामले में प्रैसीडैंट इलैक्शन कमीशन से विचार करे। इस के शब्द ये है :

"If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause. . . . . etc."

तो यह फैक्ट कि आया जो तारीफ़ डिसक्वालिफिकेशन की पार्लियामेंट ने की है उस तारीफ़ के मुताबिक़ किसी मैम्बर ने डिसक्वालिफिकेशन इनकर की है या नहीं, इस का फैसला सिर्फ प्रैसीडैंट को करना है और वह इलैक्शन कमीशन की सलाह से करना है। और इलैक्शन कमीशन जो भी सलाह मशविरा दे, उस को प्रैसीडैंट को मानना है।

इसलिये यह दोनों बातें अलग अलग हैं। डिसक्वालिफिकेशन क्या चीज़ है, क्या काम या कौन जगह और कौन से पद को लेना डिसक्वालिफिकेशन इनकर करता है, इस बात का फ़ैसला पार्लियामेंट को करना है। और आया उस फ़ैसले के मुताबिक़ वाक़ई कोई मैम्बर डिसक्वालिफिकेशन का मुर्तकिब हुआ है या नहीं इस का फ़ैसला इलैक्शन कमीशन को करना है। और इलैक्शन कमीशन जो कुछ फ़ैसला दे उस के मुताबिक़ प्रैसीडैंट को विचार करना है। इस मामले में मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट हमें बांटी गयी है उस के मुताबिक इलैक्शन कमीशन ने इस बात के ऊपर काफी चर्चा की है कि जो इस ऐडवाइजरी काउन्सिल के मेम्बर बने थे, तो आया ऐडवाइजरी काउन्सिल की मैम्बरी डिसक्वालिफिकेशन के अन्दर आती है या नहीं। मैं समझता हूं कि इस तरह डिसक्वालिफिकेशन की तारीफ पर बहस कर के इलैक्शन कमीशन ने अपनी हद से तजावुज़ किया है। आप देखेंगे कि इस कास्टीट्यूशन के मुताबिक़ दर असल डिसक्वालिफिकेशन का फैसला करना पार्लियामेंट के अधिकार में है। लेकिन इलैक्शन कमीशन अपने उस अधिकार के बाहर चला गया है, आगे बढ़ गया है। उन्होंने इस बात को तय करना शुरू किया है कि जो १५ मेम्बर बने वह डिसक्वालिफिकेशन इनकर करते थे या नहीं। पहले उन्होंने १५ मेम्बर चुने, फिर तीन को बरी कर दिया यह कह कर कि वे रेजीडैंट नहीं थे, बाहर से आये थे और उन्होंने बाहर से आने में खर्च वगैरह किया था, इसलिये उन के ऊपर डिसक्वालिफिकेशन आयद नहीं होता। लेकिन १२ मेम्बरों पर डिसक्वालिफिकेशन आयद होता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस बात का फैसला करना और इस पर विचार करना इलैक्शन कमीशन के अधिकार में नहीं था, उन को इस बात का फ़ैसला करने का अधिकार नहीं है कि कोई विशेष 'पद'

डिसक्वालिफिकेशन में आता है या नहीं। यह फैसला करना पार्लियामेंट का अधिकार है, यह इलैक्शन कमीशन का नहीं है। पार्लियामेंट डिसक्वालिफिकेशन की तारीफ़ करे और तारीफ़ में वाक़ई कोई मेम्बर आता हैं या नहीं, इस फैक्ट पर विचार करने का काम इलैक्शन कमीशन का है। किसी मेम्बर ने उस पद को ग्रहण किया है या नहीं, एक मेम्बर कहता है कि मैं ने इस को ग्रहण नहीं किया, या कोई कहे कि मैं ने इस को ग्रहण करने की लिखित स्वीकृति नहीं दी, या कोई बेम्बर कहे कि मुझ को इस के ग्रहण करने के विषय मे मालूम नहीं था, इस तरह की बातें हों तो उन पर इलैक्शन कमीशन को विचार करना है कि आया अमुक सदस्यों ने वस्तुतः पद ग्रहण किया है अथवा नहीं

अगर हम इस पोज़ीशन को अच्छी तरह से समझ लें और दोनों चीज़ों को हम जुदा २ कर दें तो मैं समझता हूं कि इस समय डिसक्वालिफिकेशन की जो व्यवस्था की जाती है उस के अनुसार विन्ध्य असेम्बली के सब के सब मेम्बर्स जो कि इस कमेटी के सदस्य बने थे, मेम्बर रहने के अयोग्य हो जाते हैं। इलैक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार नहीं था कि उस में किसी के लिए "एक्सेप्शन" करे और एलैक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह इस बात का फैसला करे कि क्या २ चीज़ डिसक्वालीफिकेशन के अन्दर आती है या नहीं है। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के लिए यह लाज़िम हो जाता है कि वह इस मामले के बीच में आये और यह चीज़ साफ करे कि क्या चीज़ डिसक्वालीफिकेशन इनकर करती है और क्या नहीं करती है। मैं इसी डिस्क्वालीफिकेशन की बात लेता हूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाइकोर्ट किसी बात का फैसला करता है और वह किसी चीज़ की तारीफ करता है, डेफ़नीशन और इंटरप्रेटेशन देता है, तो उसको लेजिस्लेचर और हाउस देखता है कि आया कोर्ट की वह तारीफ़ और इंटरप्रेटेशन उसकी मंशा के मुताबिक है या नहीं, अगर लेजिस्लेचर यह देखता है कि वह तारीफ़ जो कि कोर्ट के अन्दर की जा रही है इलैक्शन कमीशन में की जा रही है या और किसी जगह पर की जा रही है, वह तारीफ उस हाउस की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है तो हाउस को इस बात का पूरा अख्तियार है कि वह उस तारीफ़ को साफ़ करे और उसके मुताल्लिक जो नतायज हुए हैं, उनके मुताल्लिक भी फ़ैसला करे और उससे जो भी नतायज निकले हैं, सही हों या बुरे, उनको ठीक करे और नेसेसरी एमेंडमेंट लाकर अपनी मंशा मुताबिक़ उस चीज़ की तारीफ और इंटरप्रेटेशन कराये। इसलिए मौजूदा मामले में मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट को न सिर्फ़ हक है, बल्कि पार्लियामेंट का फ़र्ज़ है कि उस मामले को साफ़ करे। मुझे इस बात का ज़रूर अफ़सोस है कि यह मामला आज इतनी देर से पेश हुआ है, अगर यह बिल इस पार्लियामेंट के आरम्भ में ही पेश किया जाता, प्रैसीडेंट साहब के आर्डर देने से पहले ही पेश किया जाता, तो यह उलझन हमारे दिमागों में न पैदा होती जो कि इस वक्त पैदा हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर प्रैसीडेंट के आर्डर की फ़ाइनैलिटी तो वहीं तक है जहां तक प्रैसीडेंट और इलैक्शन कमीशन को क़ानून जाने की इजाज़त देता है, लेकिन अगर हम पार्लियामेंट के अधिकारों पर जो कि कास्टीट्यूशन ने दिये हैं, कोई पाबन्दी या रोक लगा दें, तो यह कास्टीट्यूशन और क़ानून का ग़लत इंटरप्रेटेशन होगा, अगर हम फ़ाइनैलिटी की तारीफ़ इस तरीके से करें कि जिस

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

चीज़ के ऊपर रोक लगाने का अधिकार प्रैसीडेंट को नहीं है, उसके ऊपर भी प्रैसीडेंट की फ़ाइनैलिटी रोक लगा दे, तो म समझता हूं कि यह कानून का ग़लत इं रप्रेटेशन होगा। प्रैसीडेंट की फ़ाइनैलिटी तो यहीं तक है कि इलैक्शन कमीशन ने यह तय किया कि जो लैजिस्लेचर के मैम्बर्स एडवाईज़री कौंसिल के भी मेम्बर्स थे उन्होंने लेजिस्लेचर की मेम्बरी की। डिस्क्वालीफिकेशन इनकर कर ली, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट इस बात का फैसला भी न कर सके कि आया इलैक्शन कमीशन का यह फैस्ला डिस्कवालीफिकेशन के बारे में हमारी मंशा के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ, पार्लियामेंट के इस अधिकार के ऊपर कोई पाबन्दी अथवा रोक लगाना मेरे ख्याल में उचित व मुनासिब नहीं है, दफा १०३ की कभी ऐसी मंशा नहीं थी और अगर ऐसी मंशा होती तो मैं समझता हूं कि दफ़ा १०२ के अन्दर पार्लियामेंट को जो अधिकार मिला है वह खत्म हो जायगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दरअस्ल जो चीज इस वक्त हमारे सामने है, न सिर्फ ऐसे मामलों में बल्कि और बहुत से मामलों के लिए यह चीज सामने आने वाली ह, यह डिस्कवालीफिकेशन की तारीफ ऐसी लम्बी चौड़ी है और दरअस्ल कई मामलों में हमारा कानून इतना वेग है और इतना धुंधला है कि पार्लियामेंट को इस बात को बिल्कुल पार्टी क्वेश्चन से अलहिदा होकर सारे मसले पर विचार करना है, हम यहां पर सोच रहे हैं कि उन लोगों को जिनको इलैक्शन कमीशन ने हमारी मंशा मुआफिक सही इंटरप्रेटेशन न कर के डिस्कवालीफाई कर दिया है, उनकी डिस्कवालीफिकेशन हम किस तरह से हटायें क्योंकि इस तरह तो डैमोक्रेसी खतरे में पड़ जायगी। डिस्कवालीफिकेशन बड़ी सिरियस चीज है। किसी आदमी से यह अधिकार छीन लेना और उस को डिस्कवालीफाई कर देना, इसकी सीरियसनेस को शायद हमन सोचा नहीं है, उन बारह मेम्बरों को डिस्कवालीफाई करके हम उनको एक अधिकार से वंचित करते हैं और ऐसे वक्त में वंचित करते हैं जब उनका दरअस्ल कोई कसूर नहीं और उनके वाजिब अधिकार से वंचित करते समय हमारी कांश्यंस ज़रा भी प्रिक नहीं करती कि हमने ऐसे लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है जिनका वास्तव में कोई कसूर नहीं, और मैं समझता हूं कि उस रौग को रेक्टीफाई करने के लिए पार्लियामेंट का नेसेसरी लेजिस्लेशन पास करना बहुत जरूरी और मुनासिब है और पार्लियामेंट को इस बात का फैसला करना है कि आया आफिस आफ प्राफिट से क्या मुराद है और मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल विन्ध्य प्रदेश के उन बारह मेम्बरों का ही मामला नहीं है, बल्कि बहुत सारे सूबे हैं जहां एडवाइजरी कौंसिल बनी हुई हैं और उन कमेटीज़ की मीटिंग्ज में आने के लिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट रेल का किराया आदि देती हैं, फर्ज कीजिए कि किसी स्टेट के मेम्बर को लेकर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई कमेटी बनाती है, वहां की स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वह यह पास कर देता है कि : this is not an office of profit. दफा १९१ के मुताबिक यह फैसला करते हैं कि यह जो पद है यह आफिस आफ प्राफिट नहीं है और स्टेट लैजिस्लेचर्स के जो मेम्बर हैं वह डिस्कवालीफिलेशन्स से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अगर किमी स्टेट ने किसी पार्लियामेंट के मेम्बर को भी उस कमेटी में रख दिया, पार्लियामेंट के मेम्बर ने यह

सोचा कि दफा १९१ के मुताबिक स्टेट के लैजिस्लेचर ने तो यह डिक्लेयर कर दिया कि यह आफिस आफ प्राफिट नहीं है और इसलिए वह वहां का भी मेम्बर बन सकता है, लेकिन कानूनन् देखा जाय तो पार्लियामेंट का मेम्बर डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि पार्लियामेंट ने तो यह डिक्लेयर नहीं किया कि वह आफिस आफ प्राफिट नहीं है, मैं इन खामियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और विन्ध्य प्रदेश के मेम्बरों की डिसक्वालीफिकेशन का ही मामला नहीं है, बल्कि मैं जानता हूं कि कई पार्लियामेंट के मेम्बरों ने और स्टेट लैजिस्लेचर्स के मेम्बर्स ने ऐसी कमेटियों में आने से इंकार कर दिया है, क्योंकि इस सम्बन्ध में जुदा २ इंटरप्रेटेशन्स दिये जाते हैं और उस कानून की अलग २ व्याख्यायें की जा रही हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट का फर्ज है कि वह यह चीज साफ करे कि आफिस आफ प्राफिट क्या है, उस को साफ तौर से डिफाइन करे और जहां पर गलत इंटरप्रेटेशन करने के कारण मेम्बरों को डिसक्वालीफाई किया गया है और उनको उनके उचित अधिकार से वंचित किया गया है, उनको उनका अधिकार वापिस दिलवाया जाय और उनकी डिसक्वालीफिकेशन हटायी जाय, और हमारा काम सिर्फ विन्ध्य प्रदेश के बारह मेम्बरों की डिसक्वालीफिकेशन हटाकर ही खत्म नहीं हो जाता और मुझे तो अफसोस के साथ यह तस्लीम करना पड़ता है कि यह बिल काफी दूर तक नहीं जाता, स्टेट्स के और बहुत से मामले हैं, ऐसी कमेटियां हैं जिनके अन्दर बिल्कुल कोई प्राफिट मोटिव नहीं है और इस मौजूदा कानून के अन्दर, इस वेग डेफनीशन के अन्दर वह आफिस आफ प्राफिट समझा जा सकता है और उस सम्बन्ध में हमारा कानून वेग होने और साफ न होने के कारण कोई भी कोर्ट उसे आफिस आफ प्राफिट करार दे सकता है, इलैक्शन कमीशन भी उसे आफिस आफ प्राफिट मान सकता है, इसलिए आज यह बहुत जरूरी हो गया है कि पार्लियामेंट को इस आफिस आफ प्राफिट की डेफनीशन को बिल्कुल साफ कर देना चाहिए ताकि यह जो बिना उनके कसूर के वह डिसक्वालीफिकेशन इनकर कर लेते हैं, वह न हो और उनको उनके अधिकार से वंचित न किया जा सके । मैं इस सम्बन्ध में अपने माननीय होम मिनिस्टर साहब और ला मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह जल्द से जल्द कानून को साफ और वाज़े कर दें ताकि यह दिक्कत और सवाल जो कई सूबों में और किन्हीं मेम्बरों के सम्बन्ध में उठ सकता है और उठने वाला है, उसमें कोई दिक्कत न हो यह कानून बिल्कुल साफ और वाज़े हो जाय जिस से बिना कसूर किसी को उसके अधिकार से वंचित न किया जाय। इन अलफाज़ के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : महा न्यायवादी ने इस विधेयक को वैध और उचित ठहराया है और कहा है कि संसद अपने सर्वोच्च अधिकारों के द्वारा संविधान बनाने तथा भंग करने और इस में संशोधन करने के लिए बिल्कुल सक्षम है । मैं उन से सहमत हूं । वह विधेयक संसद के वैधानिक अधिकार के अन्तर्गत आता है । विधान मण्डलों के इतिहास में ऐसा पहिली बार नहीं हो रहा कि सदस्य अनर्ह हो गये हैं । मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि सरकार जेनर्किस के मामले के तरीके क्यों अपनाती है जब इन परिस्थितियों के अन्तर्गत सामान्य तरीके अपनाये जा सकते हैं । मान लिया कि संसद को इस विधान बनाने या उसे हटाने

[कुमारी एनी मस्करीन]

के अधिकार हैं किन्तु इस विधेयक से तो विधान बनाने के मल सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है, अर्थात् संसद राष्ट्र के लिये सामान्य बातों पर विधान बनाती है न कि विशेष परिस्थितियों वाले मामलों पर। महान्यायवादी ने हमारे सामने जेनकिंस का मामला रखा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या उस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्यवाही उचित है या नहीं। उस मामले को देखने से यह स्पष्ट है कि वह एक संदेहपूर्ण मामला था जिससे इंग्लैंड की पार्लियामेंट के नैतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ। वैधानिक अधिकारों के सम्बन्ध में मैं महान्यायवादि से सहमत हूं। यहां संसद के नैतिक तथा वैधानिक अधिकारों के बीच संघर्ष, संसद की वैधानिक तथा राजनैतिक प्रभुता के बीच संघर्ष और विशेष परिस्थितियों तथा सामान्य मामलों पर विधान बनाने के बीच संघर्ष का प्रश्न है। राष्ट्र के प्रतिनिधि होने के नाते हमें ऐसा दृष्टान्त रखना है जिसका हमारे उत्तराधिकारी अनुसरण करेंगे। और इस सदन के अधिकारों का विश्लेषण करते हुए हम अपने पिछले कामों को निरर्थक कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रपति को इस सदन ने बनाया है। और हमने उनको इस संवैधानिक बात के आधार पर बनाया है कि हम उनके कार्यों का सम्मान करेंगे। निर्वाचन आयोग के विरुद्ध विधान बना कर हम अपने अधिकारों को निरर्थक कर रहे हैं और यह संसद के वैधानिक अधिकार के विपरीत है और इसके सर्व प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाना है।

जो हम कार्य कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या आपको सत्ता का इतना मद है कि आप इस प्रकार का एक दृष्टान्त रखना चाहते हैं जिसके राजनैतिक परिणाम बड़े गम्भीर हैं जोकि एक अदूरदर्शी विधान के परिणामस्वरूप है? आप ऐसा कर सकते हैं; आपका बहुमत है। यदि संसद को विधान बनाने का कानूनी अधिकार है तो संसद के ऊपर रोक लगाने वाली जनता है जो निर्वाचक गण के रूपमें संसदसे भी बड़ी है। अतः यह स्वयं इस बात का उदाहरण है कि राजनैतिक प्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिये। यह हम ने माना कि इस विधान बनाने के कार्य में पूर्णरूप से वैधानिक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता है किन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि संसद के सर्व प्रभुत्व सम्पन्न अधिकारों पर प्रतिबन्ध हैं। अतः इन बातों के आधार पर इस संसद के लिये इस विधान को पारित करना उचित नहीं।

मैं प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहना चाहती। किन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार, दलों की स्वार्थ परायणता तथा गुट बन्दी के कारण प्रजातंत्र बहुधा समाप्त हो गया।

आप प्रजातंत्र के सर्वोत्तम सिद्धान्तों को ही रखें, किन्तु इसके लिए केवल बुद्धि और शक्ति ही आवश्यक नहीं है कुछ और पवित्र बातें होनी चाहियें अर्थात् चरित्र तथा ईमानदारी और नैतिक सिद्धान्तों के लिए सम्मान भी होना चाहिए और यदि हम प्रजातन्त्र के नैतिक सिद्धान्तों का सम्मान नहीं करते और यदि हम उन सिद्धान्तों के लिए त्याग नहीं करते तो प्रजातन्त्र बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। प्रजातन्त्र के प्रचारक तथा प्रजातन्त्र की संस्थायें जो कि न्याय, समानता तथा भ्रातृभावना का प्रचार करते हैं और जो लोगों से कहते हैं निर्वाचन ही अन्तिम

अधिकार है, उन्हें उप-चुनावों में कुछ कटु अनुभव हुए और वे उन्हीं कारणों से चुनाव नहीं कर पाते ।

श्री एस० वी० रामास्वामी (सलेम) : यह सरलता विधेयक है किन्तु इसके बारे में इतनी गड़ बड़ी हो रही है । यह स्थिति इस कारण पैदा हुई कि निर्वाचन आयोग ने 'लाभ के पद' की व्याख्या की और इससे उत्पन्न स्थिति के कारण यह विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा । यह सब गड़ बड़ी इस बात से पैदा हुई कि भाग 'ग' राज्य सरकार अधिनियम की धारा १७ में संविधान के अनुच्छेद १०२ का निर्देश है । यदि उस धारा में संविधान का निर्देश न होता तो ये सब बातें पैदा न होतीं । यद्यपि महान्यायवादी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद २४० के अनुरूप है और इससे संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता फिर ये सब हो रहा है ।

यदि हम अनुच्छेद २४० को देखें तो उसमें यह बहुत स्पष्ट है कि भाग 'ग' राज्य सरकार अधिनियम उसी के अनुसार पारित किया गया था और यह वर्त्तमान विधेयक भी उसी के अनुरूप है। माननीय सदस्यों को गलत धारणा हो गई है कि अनर्हतायें अनुच्छेद १०१, १०२ तथा १०३ के अन्तर्गत आती हैं और शायद इस लिए बार बार वे इनका निर्देश करते हैं जिनका कि इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं । भाग 'ग' राज्य अधिनियम की धारा १७ में संविधान के १०२ अनुच्छेद का निर्देश करने की अपेक्षा यदि वे अनर्हताओं को उसी में रख देते तो अनुच्छेद १०१, १०२ तथा १०३ के निर्देश की बिल्कुल आवश्यकता न पड़ती । यह अधिनियम सर्वथा स्वतन्त्र है और इसे अनुच्छेद २४० के अनुरूप संसद् द्वारा बनाये गए विधान से प्राधिकार प्राप्त होता है । यदि यह अनर्हता अनुच्छेद १०१ तथा १०२ के अन्तर्गत होती तो यह एक भिन्न मामला होता । अतः यदि भाग 'ग' राज्य अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत कोई अनर्हता होती तो संविधान के अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत संसद को अनुच्छेद २४० में रखी गई अनर्हताओं को हटाने का अधिकार है । अतः इस विधेयक को संविधान में संशोधन के रूप में अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता नहीं । हम केवल अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं संविधान में नहीं ।

महान्यायवादी ने जो कुछ कहा उसे पढ़ने के बाद भी मेरी एक कठिनाई है । महान्यायवादी ने हमारे सामने लंका, जेनकिंस, कोटब्रिज तथा स्प्रिंगबर्न के चार मामले रखे । इन चारों मामलों को अच्छी तरह देखने से पता लगेगा कि उन स्थानों को रिक्त घोषित नहीं किया गया था । उन मामलों तथा इस मामले के बीच यही अन्तर है । महान्यायवादी ने जो मामले रखे हैं क्या उनके सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्णय किया गया है जिसमें स्थान रिक्त घोषित किया गया हो और उस स्थान से हटाये गए किसी व्यक्ति को उसी स्थान पर रख लिया हो ? मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस बात का पता लगायेंग कि क्या स्थान रिक्त घोषित कर दिया गया है, इन सब सम्बन्धित निर्णयों से मुझे तो यह पता लगता है कि यदि सदस्य अनर्हता सम्बन्धी प्रतिबन्ध के अन्तर्गत आ जाते हैं तो भी वे सदस्य बने रहते हैं ।

लंका वाले मामले में एक सदस्य पर मुकदमा चलाया गया था फिर भी वह सदस्य बना रहा । और उसको उस मुकदमे से बचाने के लिए एक आदेश पारित किया गया था । जेनकिंस के

[श्री एस० वी० रामास्वामी]

मामले में जब प्रवर समिति ने यह बताया कि वह अनर्ह था तो उसको उससे बचाने के लिये एक अधिनियम पारित किया गया था । कोटब्रिज और स्प्रिंगबर्न के मामले में भी हाउस आफ़ कामन्स की प्रवर समिति के रिपोर्ट करने पर उन्हें बचाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था।

कल श्री शाह ने १९५१ के अधिनियम ४९ के विषय में कहा था । उन्होंने कहा था कि यदि संसद् भविष्य के लिये विधान बना सकती है तो वह भूत लक्षी विधान भी बना सकती है और कोई वकील उसको चुनौती नहीं दे सकता । मैं उनसे असहमत हूं क्योंकि अनुच्छेद २० अनुच्छेद २४५ पर प्रतिबन्ध लगाता है, जिसमें संसद् के अधिकार दिये हुए हैं ।

इसके अतिरिक्त यदि आप १९५१ के अनर्हता निवारण अधिनियम को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन सब सदस्यों के स्थान रिक्त घोषित नहीं किये गए थे। सच तो यह है कि जहां तक मुझे ज्ञात है संसार की किसी भी संसद् में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी स्थान को एक बार रिक्त घोषित कर दिया गया हो और फिर उनमें पुराने सदस्यों को पदस्थ कर दिया गया हो । मेरी राय में ये स्थान उस तारीख को रिक्त हुए जिस दिन कि आदेश गज़ट में प्रकाशित हुआ । इसलिए अधिनियम ४९ की ओर निर्देश करने से कुछ मतलब नहीं निकलता ।

श्री एन्थनी ने कहा कि महान्यायवादी कह रहे थे कि इस भाग 'ग' के विधान मण्डलों के सदस्यों की स्थिति संसद् सदस्यों से ऊंची कर दी गई है । परन्तु मेरा निवेदन यह है कि बात ऐसी नहीं है । संविधान के अनुच्छेद २४० में स्पष्ट उल्लेख है कि संसद् को भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में विधान बनाने का अधिकार है । अतएव विन्ध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की स्थिति निश्चित रूप से संसद सदस्यों की स्थिति में उच्चतर नहीं है ।

एक दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह विधान संविधान के अनुच्छेद २४० के कार्यक्षेत्र के पूर्णतया अन्तर्गत है क्योंकि हम तो विधान मण्डल को जारी रखने के लिये ऐसा कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि यदि संसद् को उस विधान मण्डल को जारी रख सकती है तो इसे उन बारह सदस्यों के, जो कि अनर्ह घोषित किये गये हैं, विषय में भी ऐसा विधान बना सकती है जिससे वे उस विधान मण्डल के सदस्य बने रहें । अतः इस अधिनियम को बनाने में हम संवैधानिक रूप से ठीक है ।

पंडित बाल कृष्ण शर्मा की इस बात से, कि ऐसा निर्वाचन आयोग कर सकता है, संसद् नहीं, मैं असहमत हूं । निर्वाचन आयोग इस संसद् द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है। हम इसे हटा भी सकते हैं । निर्वाचन आयोग हमारे अधीन है और उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है ।

अन्त में विरोधी दल के सदस्यों ने कहा कि प्रजातन्त्र खतरे में है । यह बात ठीक नहीं है । वास्तव में यह विधेयक प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये ही है । हाउस आफ कामन्स ने अनर्हित सदस्यों को बचाने के लिये लगभग २०० अधिनियम बनाये । तो क्या हाउस आफ कामन्स ने प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध काम किया । गलतियां तो होती ही हैं । इसका यह मतलब तो नहीं कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाने पर एक दम चुनाव करवाये जायें । और जैसा मेरे माननीय मित्र श्री देश पांडे ने कहा—ऐसा तो

हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिये ही कर रहें हैं, क्योंकि निर्वाचकों ने हाल ही में अपनी सम्मति व्यक्त की और इन बारह सदस्यों को चुना। हम इन बारह सदस्यों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। ऐसे ही अवसरों पर संसद् को कार्य करना पड़ता है और इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रजातन्त्र की रक्षा हो और निर्वाचकों को व्यर्थ की कठिनाइयां न हों।

यह भी बार बार कहा गया है कि राष्ट्रपति का आदेश अन्तिम रूप से मान्य है और राष्ट्रपति का अपमान किया गया है। अनुच्छेद १०३ के अनुसार राष्ट्रपति का आदेश अन्तिम रूप से मान्य नहीं है और संसद् इस पर विचार कर सकती है। राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की राय माननी पड़ेगी और वह आदेश अन्तिम रूप मान्य होगा। इस से अनुच्छेद २४५ के अन्तर्गत संसद् के अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता और अनुच्छेद १०३ से भी यह अधिकार सीमित नहीं होता। अनुच्छेद २४० तथा २४५ के अन्तर्गत संसद् को प्राप्त अधिकारों के आधार पर ही हम इस विधेयक को पारित कर रहे हैं। राष्ट्रपति का किसी भी प्रकार अपमान नहीं किया गया। 'लाभ के पद' शब्दों की गलत व्याख्या के कारण जो बारह सदस्य अनर्ह हो गये हैं हम तो उन्हें बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यदि यह विधेयक उस के बाद प्रस्तुत किया गया होता जब कि निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी सम्मति बता दी थी तो यह दस मिनिट में पारित कर दिया जाता क्योंकि उस समय स्थान रिक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती। किन्तु गृह मंत्री के भाषण पढ़ने से मुझे पता लगता है कि सरकार वकीलों से परामर्श ले रही थी और वकीलों ने कहा कि "आदेश जारी होने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये"। किन्तु निर्वाचन आयोग ने अपनी सम्मति राष्ट्रपति को बता दी थी और अनुच्छेद १०३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति को इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इसको दृष्टि में रखते हुए मेरा कहना यह है कि जब निर्वाचन आयोग ने अपनी सम्मति राष्ट्रपति को बता दी थी तो यह विधेयक उसके एक दम बाद प्रस्तुत किया जा सकता था और बहुत जल्दी पारित हो जाता। किन्तु संसद् को ऐसा करने का अधिकार है और हम अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत इस विधेयक को ठीक ही पारित कर रहे हैं जिस से कि इन सदस्यों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। मैं सदन का ध्यान लिखित द्वारा "पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" के पृष्ठ १८१ की ओर दिलाता हूं। १८९४ में लीसेस्टर मामले में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दो उम्मीदवारों को लाभ के पद-ग्रहण करने से अपने स्थान खाली करने पड़ते। इनके लिये दो चुनाव होने चाहियें थे। किन्तु गलती से एक चुनाव हुआ और इस मामले की जांच के लिये पार्लियामेंट ने एक प्रवर समिति नियुक्त की। उस समिति का निर्णय यह था कि प्रक्रिया के अनुसरण करने में निर्वाचन अधिकारी ने गल्ती की थी, किन्तु उसने यह सिफारिश की इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये क्योंकि उस ने इस बात को ठीक समझ कर और सब दलों के सलाह से काम किया था और उसका अभिप्राय चुनाव में

[श्री एस० वी० रामास्वामी]

किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने का नहीं था।

ब्रिटिश लोक-सभा की प्रवर समिति ने एक विशेष निर्वाचन को शून्य घोषित किया था किन्तु साथ ही उसने यह भी सिफारिश की थी कि कोई नया निर्वाचन न किया जाए तथा जो सदस्य निर्वाचित कर लिए गए हैं वही सदस्य बने रहें। यदि ब्रिटिश लोक-सभा, जो लोक-सभाओं की जननी समझी जाती है, ऐसा कर सकती है तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि बारह सदस्यों को अनर्ह न किया जाए तथा विधेयक पारित कर दिया जाए।

सांसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अब बहस समाप्त की जाए।"

कुछ माननीय सदस्य : हम इसका विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अब बहस समाप्त की जाए।"

सदन में मत विभाजन हुआ। पक्ष में २१२ और विपक्ष में ६४ मत पड़े।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गृह-कार्य तथा राज्य मन्त्री (डा० काटजू) : हम सब लोगों ने जोरदार बहस सुनी तथा मुझे यह जान कर संतोष हुआ कि इस सदन में संवैधानिक बातों में दिलचस्पी रखने वाले भी काफी लोग हैं तथा उनका प्रजातन्त्र में अटल विश्वास है। यह विधेयक, जैसा कि मैंने आरम्भ ही में कहा था, बहुत ही सरल विधेयक है। मेरी अब भी यही राय है। इसके पहले कि मैं इसके विस्तार में जाऊं, आरम्भ ही में, मैं सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खण्डन करता हूं। कुछ सदस्यों ने सरकार द्वारा गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं यह बात विन्ध्य प्रदेश विधान-सभा के किसी विशेष सदस्य को लेकर नहीं उठी है। सरकार ने विन्ध्य प्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्यों को ज़िला मंत्रणा परिषद् में रखना चाहा था जिस से वे आपस में मिल सकें तथा ज़िले से सम्बन्ध रखने वाली बातों पर अपनी राय दे सकें ; यह तो इसलिए किया गया था जिससे सरकारी, ग़ैर-सरकारी तथा नामनिर्देशित सदस्य महीने में एक बार एक स्थान पर मिल कर बातचीत कर सकें। इसके पीछे कार्यपालिका का कोई हाथ न था। विधि भाषा में तो यह एक ही कार्य था। एक सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच भेदभाव करने का कोई प्रश्न ही न था। समस्त दलों के समस्त सदस्यों पर नियम एक समान लागू थे। मेरे विचार में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि विन्ध्य प्रदेश विधान-सभा में ४० सदस्य एक दल के तथा १९ सदस्य दूसरे दल के थे। अप्रैल, १९५२ की सरकारी अधिसूचना—जो कि सदस्यों द्वारा ज़िला मन्त्रणा परिषदों में भाग लेने के सम्बन्ध में थी—सब पर एक समान लागू होती थी तथा किसी एक दल और दूसरे दल में विभेद नहीं किया गया था। उद्देश्य स्पष्ट था—वे स्थानीय प्रतिनिधियों से लाभ उठाना चाहते थे। कुछ बैठकें हुई थीं तथा सलाह भी दी गई थी। यह सब काम सरकारी स्तर पर हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण बात है इसलिए मैं इसको पुनः दोहराता हूं कि इस बात का कोई सवाल नहीं था

कि कौन सा विशेष सदस्य या गुट मंत्रणा परिषद् का सदस्य होने का प्रयत्न करे।

अक्तूबर के महीने में, वहां के एक सदस्य ने इसमें एक विधि सम्बन्धी ग़लती पाई और उसने इस बात को विन्ध्य प्रदेश की विधान-सभा में भी उठाया। बहस के दौरान में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार इस मामले पर नवम्बर से १५ जनवरी तक सोती रही। सदन को याद होगा कि जो प्रश्न उठाया गया था उससे वास्तव में तीन प्रश्न उठ खड़े होते थे। मैं प्रश्न का केवल विश्लेषण कर रहा हूं। प्रथम तो यही कि ज़िला मंत्रणा परिषद् की सदस्यता कोई पद भी था अथवा नहीं? दूसरे, क्या यह लाभ का पद था? तीसरे, क्या कार्यवाही की जाए तथा इस विवाद का कौन फ़ैसला करे? जहां तक संविधान का प्रश्न था, हमारे पास हमारे अनुच्छेद हैं—संसद् के सदस्यों के लिए अनुच्छेद १०३, तथा भाग 'क' तथा 'ख' राज्य विधान-सभाओं के लिए सम्भवतः अनुच्छेद १९२। इन तीनों प्रश्नों के लम्बन्ध में हमें विधि मंत्रालय तथा अन्य सम्बद्ध कार्यालयों से राय मांगनी पड़ी। अधिनियम ३ में इस सम्बन्ध में कोई भी उल्लेख नहीं था। अधिनियम ३ अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत पारित किया गया था तथा हो सकता है ग़लती से उसमें कोई कमी रह गई हो। इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्, यद्यपि हमें यह राय दी गई थी कि यह तो लाभ का पद ही नहीं है—इस बात को छोड़ते हुए कि यह पद है भी या नहीं—हम ने यही निश्चय किया कि हम ऐसे मामलों के सम्बन्ध में संविधान में दिए गए उदाहरणों का ही अनुसरण करें, अर्थात्, इस सम्बन्ध में निर्णय करने का काम निर्वाचन-आयोग पर ही छोड़ दें।

राष्ट्रपति का, लगभग व्यक्तिगत रूप से, निर्देश किया गया है। आप ने बहस के दौरान में यह बतलाया था कि राष्ट्रपति के सम्बन्ध में व्यक्तिगत्-रूप से निर्देश करना या कुछ कहना उचित न होगा। वह वही कर रहे थे जो कि उन्हें दी गई राय के अनुसार संवैधानिक रूप से करना चाहिए था। इन सब बातों पर विस्तार में विचार किया गया। कृपया इस बात को ध्यान में रखिए—यह वही बात है जिस पर महान्यायवादी ने भी ज़ोर दिया है—कि ज्यों ही कोई सदस्य अनर्हता का भागी हो जाता है, उसे अपना स्थान रिक्त कर देना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद १०४ तथा मेरे विचार में अनुच्छेद १९३ के अनुसार भी—ज्यों ही कोई सदस्य यह जान लेता है कि वह अनर्ह हो गया है (तथा यह आशा की जाती है कि सदस्य इस सम्बन्ध में विधि को आरम्भ ही से जानता है) या वह अनर्ह हो जाता है, तो वह दण्ड का भागी हो जाता है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा अनर्हता की घोषणा करने का प्रश्न नहीं था।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मन्त्री (श्री बिस्वास): यह बात अनुच्छेद १०१ (३) में और भी स्पष्ट कर दी गई है—"तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।"

डा० काटजू: इस सम्बन्ध में भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। केवल प्रश्न यह है: मान लीजिये कोई विवाद उठ खड़ा होता है; कोई कहता है यह लाभ का पद है तथा इसीलिए अनहता का भागी है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई अनर्हता नहीं है; फिर भी, यदि दोनों में से किसी के सम्बन्ध में जब यह

[डा० काटजू]

निर्णय कर दिया जाता है कि सदस्य अनर्हता का भागी हो गया है, तो इस बात के कहने में कोई सार नहीं है कि वह अनर्हता का भागी निर्णय की तारीख से हुआ है। विधि के अन्तर्गत अनर्हता, अनर्हता का भागी होने की तारीख से आरम्भ होनी चाहिये, और यदि इस सम्बन्ध में कोई अनर्हता थी, तो अनर्हता के भागी वे ६० सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल थे, उस समय हुए जब उन्होंने ज़िला मंत्रणा परिषदों के साथ काम करना आरम्भ किया। मैं समझ लेता हूं कि एक तूफान आया और समस्त विधान-सभा गायब हो गई। मैं यह भी समझ लेता हूं कि भाग 'ग' राज्य अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सरकार को यह कहने से रोक लेती कि राष्ट्रपति इस मामले का मंत्रालय की राय लेकर निर्णय करें ; किन्तु हम ने सोचा कि स्वयं संविधान में दिये गये उदाहरण का अनुसरण करना ही ठीक होगा तथा १४ या १६ जनवरी को हमने यह घोषणा की कि राष्ट्रपति एक ऐसा नियम या आदेश बना रहे हैं जिसके अनुसार इस सन्देह का निर्वाचन आयोग को निर्देश किया जाना चाहिये। श्रीमान्, आप ने निर्देश किया था कि हो सकता है यह कहा जाये कि धारा ४३ व्यवहार्य नहीं है। यह तो अपनी अपनी राय है, किन्तु वैधानिक सलाह के अनुसार हम ने वैसी कार्यवाही की। इस मामले का निर्वाचन-आयोग को निर्देश किया गया।

इस निर्णय के गुणों व अवगुणों के सम्बन्ध में चर्चा करना मेरे लिये उचित नहीं है, फिर भी, मैं यह तो कह ही सकता हूं कि मुख्य निर्वाचन-आयुक्त ने इस सम्बन्ध में जो विभेद किया वह सब के लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने कहा था : "यह अच्छा है यह अच्छा है कि यह लाभ का पद नहीं है। फिर भी यह पद तो है ही।" मैं भी समझ सकता हूं कि यह एक पद है। इसके बाद लाभ का प्रश्न आता है। उन्होंने बतलाया : "यात्रा भत्ता ठीक है क्योंकि सदस्यों को आना पड़ता है और उन के लिये ठहरने का भत्ता लेना भी ठीक है।" परन्तु उन्होंने निवासी तथा अनिवासी सदस्यों में विभेद किया। यह रिपोर्ट उन्होंने राष्ट्रपति को २ या ३ मार्च को सौंपी थी। माननीय सदस्यों ने कहा कि यदि यह विधेयक राष्ट्रपति के आदेश के प्रख्यापन से पूर्व प्रस्तुत किया जाता तब तो यह एक उचित कार्यवाही होती। मेरा ख्याल यह है कि यह बात हमारे ही पक्ष में है। हम निर्वाचन-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों का पालन करने के लिये यह अत्यावश्यक है कि यह तथाकथित अनर्हता दूर कर दी जाये। बस प्रश्न यह था कि ऐसा कब किया जाये। २ मार्च या ३ मार्च से ३० मार्च तक का समय—जिस दिन कि राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से आदेश प्रख्यापित किया—वैध परामर्श प्राप्त करने में बीत गया। हमने विधि मंत्रालय के साथ विचार-विनिमय किया। हमने महान्यायवादी से परामर्श किया। मुझे खेद है कि उनके विषय में कुछ उपेक्षापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। वह यहां ब्रिटेन की तरह सरकार के सदस्य तो हैं नहीं। वह तो एक संविधान के अन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारी हैं। वह सरकार के राजनैतिक परामर्शदाता तो हैं नहीं, वह तो वैध परामर्शदाता हैं। उन्होंने हमें यही परामर्श दिया कि यह सवाल खत्म कर दिया जाये। राष्ट्रपति ने अपने भाग ग राज्य सरकार अधिनियम की धारा ४३ के अन्तर्गत दिये गये आदेश द्वारा निर्वाचन-आयोग के विनिश्चय को औपचारिक रूप से क्रियान्वित कर दिया।

राष्ट्रपति तो निर्वाचन-आयोग की राय के अनुसार कार्य करने को बाध्य थे ; वह यह नहीं कह सकते थे कि मेरी सरकार की राय में या महान्यायवादी की राय में निर्वाचन-आयोग द्वारा किया गया विनिश्चय ग़लत है और इसलिये मैं उसे अस्वीकार करता हूं। वह ऐसा नहीं कर सकते थे। वह तो उन्हें मानना ही पड़ता। उसे मान लेने के बाद वह चीज़ वहां खत्म हो जाती है। इसके बाद सदन में विधान प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि सदन इसके लिये पूर्णतः सक्षम है। राष्ट्रपति ने अपना आदेश ३० मार्च को प्रख्यापित किया और विधेयक १ अप्रैल को पुरःस्थापित कर दिया गया। तब से सब चीज़ ठीक तरह से चल रही थी। उसी बीच किसी ने कहा : "राष्ट्रपति का आदेश रीवा पहुंचा जहां कि अध्यक्ष ने इसे पढ़ कर सुनाया। इस पर सदस्य विरोध प्रदर्शित करते हुए सभा-भवन से बाहर चले गये।" परन्तु वास्तव में यह एक प्रक्रिया सम्बन्धी मामला था। इसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिये।

मैं इन विस्तारपूर्ण बातों में इसलिये पड़ रहा हूं क्योंकि किसी ने यह कहा कि इस मामले में कुछ गोलमाल हुआ है। मुझे यह बात सुन कर बहुत अफसोस हुआ। एक संशोधन में तो यहां तक कहा गया है कि विधेयक में यह निदेश कर दिया जाये कि यह विधान-मंडल के कांग्रेसी सदस्यों के लाभार्थ पारित किया गया है। इस ढंग से आरोप लगाना उचित नहीं है। वस्तुतः इसका किसी पक्ष विशेष से तो कोई सम्बन्ध ही नहीं है। श्री एन्थनी ने यह पूछा कि क्या जब-जब ऐसा प्रश्न उठेगा तब तक हमें ऐसी ही विधि निर्मित करनी होगी परन्तु एक बात याद रखिये। आप कहते हैं कि यह कार्यवाही लोकतन्त्र के प्रतिकूल है परन्तु मेरा कहना यह है कि यह लोकतन्त्रात्मक है क्योंकि निर्वाचन लोकतन्त्र के सिद्धान्त के अनुसार ही हुए हैं। माननीय सदस्यों ने निर्वाचनों के सम्बन्ध में दिन प्रति दिन की घटनाओं की चर्चा की। कुछ सदस्य अपदस्थ किये जा रहे हैं क्योंकि उन के नाम निर्देशन पत्र ग़लती से अस्वीकार कर दिये गये थे या कोई अन्य पत्र ग़लती से स्वीकार कर दिये गये थे। यह निर्वाचकों के उचित चुनाव करने के लिये पूर्ण अवसर प्राप्त करने के अधिकार में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। परन्तु इन सब बातों की यहां क्या आवश्यकता है।

मैं संविधान का अनुच्छेद १०२ पढ़कर सुनाता हूं। इसमें कहा गया है कि अनर्हतायें विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं :

"(क) यदि वह कोई लाभ का पद धारण किये हुए है ;

(ख) यदि वह विकृतचित्त है;

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है ;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है;

(ङ) यदि वह संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है।"

यदि यह अनर्हतायें हो गई हों और वे संविधान द्वारा या विधि द्वारा प्राधिकृत ढंग से दूर नहीं की गई हों तो फिर निर्वाचकों के अधिकार का प्रश्न उठता है। जहां तक मस्तिष्क की विकृत अवस्था, अनुन्मुक्त दिवालियापन और भारत की नागरिकता का प्रश्न है, संसद की कोई आवाज़ नहीं है। संसद इस में कुछ नहीं कर सकती। परन्तु जहां तक किसी लाभ के पद का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न

[डा० काटजू]

होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है . . . .

मैं सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद १९१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस में लिखा है :

> "यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किए हुए है।"

यदि भाग ग में के राज्य भी अनुच्छेद १९१ के अन्तर्गत आते तो उस दशा में विन्ध्य प्रदेश का विधान-मंडल ही यह विधि निर्मित कर सकता था। संसद में यह विधान तो केवल इस कारण प्रस्तुत करना पड़ा क्योंकि भाग ग में के राज्य इस संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। यदि यही मामला किसी भाग क या ख में के राज्य में उठता तो संसद् को कुछ नहीं करना पड़ता। उस दशा में तो वहां के विधान-मंडल ही इस विषय में विधि का निर्माण कर सकते थे।

इस विधान के नैतिक पहलू तथा न्यायौचित्य पर काफ़ी चर्चा की गई है। मैं तो यह कहूंगा कि इन बारह व्यक्तियों को दंड देना अन्यायपूर्ण होगा। वे तो सरकार की इच्छानुसार कार्य कर रहे थे। मैं पूछता हूं : क्या किसी ने इन व्यक्तियों के सद्भाव पर सन्देह किया है ? वे दोषी किस प्रकार हैं ? यदि इन बारह स्थानों को भरने के लिए फिर से साधारण निर्वाचन किये जायें तो इस से केवल विन्ध्य प्रदेश के विधान-मंडल को ही नहीं, अपितु समूचे राज्य की जनता को शिकायत होगी। वे पूछ सकते हैं कि हमारे द्वारा निर्वाचित सदस्यों को इस प्रकार से क्यों अनर्ह घोषित कर दिया गया। साधारण निर्वाचन करना कोई छोटी-मोटी चीज़ तो है नहीं। यदि हारे हुए व्यक्ति यह कहें कि हम लोकतन्त्र के नाम में एक बार फिर प्रयत्न करेंगे तब तो उन की यह बात समझ में आ सकती है। परन्तु यहां इस मामले में यह बात कहां है ? इस में तो संसद्, विचार-विमर्श करने के पश्चात्, यह घोषणा कर रही है कि अमुक पद लाभ का पद नहीं है। श्री शाह मुझे यह कहने की अनुमति दें कि उनका भाषण बहुत सराहनीय था। उन्होंने कहा : "आप पहले ही इस सदन में एक अधिनियम (१९५१ का ४८वां) पारित कर चुके हैं जिस में आप ने स्वयं यह उल्लिखित किया है कि अमुक-अमुक पद—राजकोषीय आयोग का अध्यक्ष, वित्तायोग का अध्यक्ष आदि—इस के अन्तर्गत नहीं आयेगा। आप ने स्वयं कहा है कि वे लोग अनर्ह नहीं किए जायेंगे; वे न केवल आज से ही बल्कि प्रारम्भ से ही अनर्ह नहीं किये जायेंगे।" यह एक आकस्मिक घटना ही है कि ये मामले निर्वाचन-आयोग को नहीं भेजे गये। सम्भवतः यह बात किसी को सूझी ही नहीं। अन्यथा कोई भी राष्ट्रपति को यह अभिवेदन भेज सकता था कि वित्तायोग के अध्यक्ष या किसी अन्य निकाय के सदस्य अनर्हता के भागी हो गये हैं और उस दशा

में राष्ट्रपति को अपना विनिश्चय देना पड़ता । संविधान के अनर्हताओं सम्बन्धी उपबन्ध के सम्बन्ध में, विशेष रूप से साम्यवादी पक्ष से सम्बन्ध रखने वाले मेरे माननीय मित्र द्वारा, अधिकाधिक अपीलें की जाती हैं । उन्होंने कहा कि निर्वाचन-आयोग तो संविधान का एक स्तम्भ है । उन्होंने यह भी कहा कि समय आने पर या उन के हाथ में शक्ति आने पर वह संविधान को फाड़ कर फेंक देने के लिए भी तैयार है । परन्तु क्यों ? अनुच्छेद १०२ में कहा गया है : "यदि वह..... ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् न विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किए हुए है....." क्या उसमें कोई समयावधि निश्चित है ? क्या यह विधान यह कहता है कि आप किसी पद के बारे में अमुक-अमुक तारीख के बाद यह घोषणा नहीं कर सकते कि वह पद लाभ का पद नहीं है ? मैं संसद् सदस्यों की बात कर रहा हूं । मान लीजिये संसद् का कोई सदस्य सरकार द्वारा दिया गया कोई पद स्वीकार कर लेता है और बाद में यह पता लगता है कि वह पद लाभ का पद है, तो उस दशा में क्या होगा ? निर्वाचन-आयुक्त तो एक पदाधिकारी ही हैं । वह राष्ट्रपति तो हैं नहीं । यह दूसरी बात है कि वह बड़े योग्य तथा न्यायिक पदाधिकारी हों, परन्तु हैं तो वह एक पदाधिकारी ही । प्रत्येक व्यक्ति गलती कर सकता है । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी गलती करते हैं । संविधान के अनुच्छेद १०२ में यह कहा गया है कि संसद उस गलती को सुधार नहीं सकती है । उसे इस प्रकार ठीक किया जा सकता है । यह कहा जा सकता है कि वह पद उस समय क्या, आरम्भ से ही लाभप्रद नहीं था । फिर राष्ट्रपति यह कहता कि कानून के बदले जाने से पहले विनिश्चय को बदलना पड़ा । यह संसद् की सर्वोच्चता का प्रश्न नहीं है । उसे हम स्वीकार करते हैं । कुछ लोगों ने कहा कि हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं । तथा लोकतन्त्र को कलंक लगा रहे हैं । ये सब आरोप मिथ्या हैं । जिस प्रकार हाउस आफ कामन्स प्रत्येक मामले पर अलग विचार करता है उसी प्रकार हम भी करेंगे । यदि सदस्य ने सद्भाव से वह कार्य किया है तो उसका कोई अपराध नहीं है । उस सदस्य की सेवाओं से उसके निर्वाचन-क्षेत्र को वंचित नहीं करना चाहिए । वहां फिर से चुनाव करने की आवश्यकता न होनी चाहिए ।

जहां तक भाग ग राज्यों का सम्बन्ध है बात बिल्कुल स्पष्ट है । संविधान की बात उसमें नहीं उठती । संसद् वैसा कर रही है जैसी मंत्रणा महान्यायवादी ने दी है । उन्होंने कहा है कि उसमें तो केवल संसद् के अधिनियम का संशोधन किया जा रहा है ।

इस विषय का सदन की गरिमा से सम्बन्ध है । मैं मानता हूं कि इसे किसी खास दल की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । लोग कहते हैं कि उन १२ सदस्यों में से ११ कांग्रेसी हैं इसलिए उनकी अनर्हता हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है । क्या कोई सदस्य कह सकता है कि उन में से किसी ने भी क्या जान-बूझ कर गलती की है ? पहली बात तो यह है कि वह पद था ही नहीं । वे मंत्रणा परिषद् के सदस्य थे तथा उसकी बैठक मास में एक बार होती थी । उन्हें केवल ५ रुपए यात्रा भत्ता मिलता था ।

एक माननीय सदस्या ने कहा कि हम हास्यास्पद बात कर रहे हैं । यह कह कर

[डा० काटजू]

वे स्वयं को हास्यास्पद बना चुकी हैं।

कानून की दृष्टि से बात बिल्कुल साफ है। इस संसद ने भाग ग राज्य अधिनियम बनाया है। अतएव उन राज्यों के विषय में यह संसद् सब कुछ कर सकती है।

यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत अनुच्छेद १०३ और १९२ मिला हुआ माना जाना चाहिये। यह तर्क भ्रमपूर्ण है। अनुच्छेद १०२ और १९२ के आधीन संसद और विधान सभा को यह अधिकार दिया है कि वह किसी पद के विषय में यह घोषणा कर सकती है कि वह लाभप्रद नहीं है।

पंडित एम० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व) : मंत्री जी ने अनुच्छेद १०२ का उल्लेख किया। क्या उनका तात्पर्य यह है कि "declare" ["घोषणा करना"] और " to be declared" ['घोषित किया जाना"] का अर्थ एक सा है?

डा० काटजू : उसे कोई भेद नहीं पड़ता। यदि मतभेद हो तो निर्वाचन आयुक्त यह घोषित कर सकता है कि अनर्हता हुई है। संसद यह कह सकती है कि अमुक पद लाभप्रद नहीं है। लोगों ने लोकतन्त्र का नाम लिया है। क्या यह सदन लोकतन्त्रात्मक नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा किसी पद को लाभप्रद कह सकता है। संसद यह नहीं कहती कि वह लाभप्रद नहीं है; वह केवल यह कह सकती है कि वह लाभप्रद न समझा जाए।

डा० काटजू : राष्ट्रपति की गरिमा और पद के विषय में कुछ कहा गया है। उसकी हमें सबसे अधिक चिंता है। परन्तु यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्रपति परामर्श के अनुसार कार्य करता है। अतएव वह कभी गलती नहीं करता--उसके परामर्शदाता ही गलती करते हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या माननीय मंत्री चुनाव आयोग के निर्णय की आलोचना नहीं कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री एस० एस० मोरे : उन्होंने कहा परामर्शदाता गलती करते हैं अर्थात् चुनाव आयोग ने गलती की।

श्री बी० एस० मूर्ति : (एलूरु) : क्या गृहमंत्री जी का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा दी गई मंत्रणा गलती थी?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सरकार।

डा० काटजू : मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चुनाव आयोग यहां नहीं है। सब कोई गलती कर सकते हैं। उसका कुछ भी मत हो परन्तु इस सदन को यह अधिकार है कि वह किसी लाभप्रद के कारण हुई किसी की अनर्हता को मिटा दे।

मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अब इस विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रश्न प्रस्तुत किया। मत विभाजन हुआ। 'हां' पक्ष में २१४ तथा 'ना' पक्ष में ६० मत आए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार १३ मई १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।